घटती घटना

सत्य के साथ...जनहित में बात...

www.ghatatighatana.com अम्बिकापुर,वर्ष 22, अंक - 260- मंगलवार 21- जुलाई 2026,पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रूपये RNI Reg.No.- CHHHIN/2004/15050,डाक पंजीयन. क्रं. 13/Surguja DN/ 2026-2028

कॉकरोच पर टूटी दिल्ली पुलिस की लाठी

जंतर-मंतर पर पीटे गए प्रदर्शनकारी

प्रदर्शन के दौरान पुलिस-प्रदर्शनकारी में हुई झड़प

नई दिल्ली, जंतर-मंतर: प्रदर्शन के दौरान जंतर-मंतर पर दिल्ली पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी झड़प हो गई। पुलिस ने लाठीचार्ज करते हुए कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। इस दौरान वहां अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

- प्रदर्शनकारियों पर किया गया लाठीचार्ज
- कई लोगों को जबरन हिरासत में लिया गया
- महिलाएं भी रहीं पुलिस की कार्रवाई की चपेट में
- जंतर-मंतर पर भारी पुलिस बल तैनात

▲ प्रदर्शनकारियों पर बरसाई लाठियां

▲ प्रदर्शनकारी का सिर फूटा, खून से लथपथ

▲ प्रदर्शनकारियों को घसीटकर ले गई पुलिस

▲ जंतर-मंतर पर धुआं और भारी पुलिस बल

कॉकरोच जनता पार्टी ने जंतर-मंतर से संसद तक निकाला मार्च

सोनम वांगचुक की अपील पर अभिजीत दीपके ने खत्म किया अनशन,संसद मार्च के दौरान हंगामा

नई दिल्ली,20 जुलाई 2026। कॉकरोच जनता पार्टी ने सोमवार को जंतर-मंतर से संसद तक मार्च निकाला। सुबह 8 से शाम 5 बजे तक चले प्रदर्शन के दौरान कई बार प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई। सुबह 8 बजे शुरू हुए प्रदर्शन में 10 बजे प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़कर संसद की ओर मार्च किया। आंदोलनकारी जंतर-मंतर से संसद मार्ग,जनपथ चौराहा,वॉर मेमोरियल,कर्तव्य पथ,विजय चौक होते हुए संसद के करीब पहुंचे। संसद में घुसने की कोशिश की,जिसके बाद संसद की सुरक्षा बढ़ा दी गई,मुख्य द्वार बंद कर दिया गया। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। देर शाम को पथराव की तस्वीरें भी सामने आईं। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने सोमवार को अपनी भूख हड़ताल समाप्त कर दी। अस्पताल में भर्ती सोनम वांगचुक ने अभिजीत दीपके से अनशन खत्म करने की अपील की,जिसके बाद उन्होंने जूस पीकर अपना उपवास समाप्त कर दिया।

सीजेपी नेताओं से मुलाकात के बाद नड्डा ने धरना खत्म करने का किया अनुरोध

सोशल मीडिया अभियान कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा से सोमवार को मुलाकात के बाद कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जातीं तब तक उनका यह शांतिपूर्ण प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं,मंत्री नड्डा ने प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने का अनुरोध किया है। नड्डा ने सीजेपी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की जानकारी देते हुए कहा कि उन्होंने सभी प्रदर्शनकारियों से अनुरोध किया कि वे अपने धरने को समाप्त करें और सामान्य स्थिति बहाल करने में प्रशासन की मदद करें। नड्डा ने ट्वीट किया, प्रदर्शनकारियों की ओर से आज सुबह पहली बार सरकार के साथ बातचीत का प्रस्ताव आया और सुबह 11:50 बजे से हमारी बातचीत चल रही है। बैठक अच्छे माहौल में हुई। उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ शुरुआती बातचीत विस्तार से हुई और शाम करीब 4 बजे उन्होंने मुझे एक लिखित ज्ञापन सौंपा। मैंने सभी प्रदर्शनकारियों से अपना धरना खत्म करने और हालात सामान्य करने में प्रशासन की मदद करने का आग्रह किया है। नड्डा से मिलने वाले प्रतिनिधिमंडल में सीजेपी के प्रवक्ता सौरव दास और आशुतोष रांका शामिल थे। उन्होंने नड्डा को तीन प्रमुख मांगों वाला अपना ज्ञापन सौंपा। मुलाकात के बाद सौरव दास ने कहा कि केंद्रीय मंत्री नड्डा ने उन्हें केवल इतना आश्वासन दिया है कि वे उचित मंच पर उनकी बात रखेंगे। दास ने कहा...'मांगें पूरी होने तक प्रदर्शनकारी चैन से नहीं बैठेंगे। मंत्री ने हमें आश्वासन दिया है कि जंतर-मंतर और आसपास के इलाकों में आगे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।' हालांकि,पुलिस द्वारा रोके जाने की कोई रिपोर्ट अभी तक नहीं मिली है। दास ने कहा...'हमने जेपी नड्डा से दो बार मुलाकात की। बैठक के दौरान हमने अपनी तीन मांगें रखीं। पहली, सोनम वांगचुक को तुरंत रिहा किया जाए। दूसरी, हमारी मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें,उन्हें या तो कैबिनेट से बर्खास्त किया जाए या वे खुद इस्तीफा दें। जब तक उनका इस्तीफा नहीं हो जाता,तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। तीसरी मांग है कि नीट की तैयारी करने वाले उन छात्रों के परिवारों को एक करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जाए, जिनमें से 20 से ज्यादा छात्रों की मौत हो चुकी है।''

युवाओं पर कार्रवाई का हवाला देकर सोनम वांगचुक ने अनशन जारी रखने का किया ऐलान

शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को लेकर अनशन पर बैठे पर्यावरणविद सोनम वांगचुक ने अपना अनशन जारी रखने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे युवाओं के साथ हुई कथित बर्बरता को देखते हुए उन्होंने अनशन समाप्त नहीं करने का निर्णय लिया है। उन्होंने सरकार और पुलिस से छात्रों को संसद के समक्ष अपनी शिकायतें रखने की अनुमति देने की अपील की है। सोनम वांगचुक ने सोमवार को सफदरजंग अस्पताल से जारी हस्तलिखित संदेश में कहा कि उनका अनशन तब तक जारी रहेगा, जब तक युवा नेताओं को संसद भवन में सांसदों से मिलने की अनुमति नहीं मिल जाती या उन्हें स्वयं अस्पताल में उनसे मिलने की अनुमति नहीं दी जाती। उन्होंने यह भी उम्मीद जताई कि इससे पहले सरकार शिक्षा मंत्री की जवाबदेही तय करेगी। वांगचुक ने कहा कि उकसावे के बावजूद युवाओं ने जिस संयम और शांति का परिचय दिया है, उससे वे भावुक और प्रभावित हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि युवा प्रदर्शनकारी आगे भी धैर्य और सहनशीलता बनाए रखेंगे। उल्लेखनीय है कि वांगचुक शिक्षा व्यवस्था में सुधार एवं अन्य मांगों को लेकर पिछले 23 दिनों से अनशन पर हैं। वहीं कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रवक्ता सौरव दास ने कहा कि हमारी मांगों पर सरकार की ओर से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। हम अभी भी इंतजार कर रहे हैं। इस बीच, जंतर-मंतर (केरल हाउस के बाहर) पर विरोध प्रदर्शन जारी है।

मानसून सत्र के पहले दिन पेपर लीक और राम मंदिर चंदे का लेकर हंगामा.....

खरगे बोले...छात्रों पर लाठीचार्ज लोकतंत्र पर हमला

संसद का मानसून सत्र सोमवार से शुरू हो गया। पहले ही दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी राजनीतिक बहस देखने को मिली। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि विपक्ष सदन में जनता से जुड़े हर मुद्दे को मजबूती से उठाएगा और सरकार से जवाब मांगेगा। उन्होंने कहा कि जनता के अधिकार, विश्वास और आवाज की रक्षा के लिए विपक्ष पूरी ताकत से अपनी बात रखेगा।

राम मंदिर चंदे की जांच की मांग...

खरगे ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए मिले चंदे को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि श्रद्धालुओं के दान में गड़बड़ी हुई है और इस मामले की स्वतंत्र जांच कराई जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने मांग की कि मंदिर निर्माण से जुड़े पूरे वित्तीय हिसाब को सार्वजनिक किया जाए,ताकि लोगों के मन में किसी तरह का संदेह न रहे।

पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था पर सरकार को घेरा

कांग्रेस अध्यक्ष ने पेपर लीक के मामलों को भी गंभीर मुद्दा बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि 2014 से अब तक देश में 152 पेपर लीक हुए हैं, जिससे लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है। उन्होंने इस मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को जिम्मेदार बताते हुए उनके इस्तीफे की मांग दोहराई। सदन के बाहर मीडिया से बात करते हुए मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा, 'पेपर लीक के खिलाफ, बच्चे जंतर-मंतर पर बैठे हैं, लेकिन उनके ऊपर लाठीचार्ज करवाया जा रहा है। मोदी सरकार हमारे युवा की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। छात्रों पर लाठीचार्ज लोकतंत्र पर हमला है। यह सरकार सत्ता में बने रहने के लायक नहीं है। हमने अयोध्या राम मंदिर में दान की चोरी का मुद्दा भी उठाया है। मोदी साहब को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए क्योंकि ट्रस्ट उन्होंने ही बनाया था।

छात्रों पर लाठीचार्ज लोकतंत्र के खिलाफ : राहुल गांधी

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने नीट-यूजी समेत विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्नपत्र लीक और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर सरकार पर छात्रों की आवाज दबाने और दोषियों को बचाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देश के सबसे युवा-विरोधी प्रधानमंत्री हैं। अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज करना और आंसू गैस का इस्तेमाल लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। राहुल गांधी ने सोमवार को एक वीडियो संदेश में कहा कि देश की सबसे बड़ी आबादी युवाओं की है, लेकिन सरकार उनके अधिकारों की रक्षा करने के बजाय उनकी आवाज दबाने का काम कर रही है। दिल्ली की सड़कों पर उतरे छात्र अपराधी नहीं, बल्कि अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं। उनकी मांग है कि उन्हें सम्मानजनक, निष्पक्ष और प्रभावी शिक्षा व्यवस्था मिले। कांग्रेस नेता ने कहा कि छात्रों का शांतिपूर्ण प्रदर्शन पूरी तरह जायज है।

भारत में पहली डेंगू वैक्सीन क्यूडेंगा को मिली मंजूरी

नई दिल्ली,20 जुलाई 2026। भारत में डेंगू से बचाव के लिए पहली वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है। जापान की फार्मा कंपनी Takeda की बनाई गई क्यूडेंगा वैक्सीन को भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल ने 4 से 60 साल की उम्र के लोगों के लिए स्वीकृति दी है। क्यूडेंगा की खास बात यह है कि इसे लगवाने से पहले यह जांच कराने की जरूरत नहीं होगी कि व्यक्ति को पहले डेंगू हुआ है या नहीं। यानी यह वैक्सीन उन लोगों को भी दी जा सकती है जिन्हें पहले डेंगू हो चुका है और उन्हें भी जिन्हें कभी संक्रमण नहीं हुआ। वैक्सीन की दो डोज लगाई जाएंगी, जिनके बीच तीन महीने का अंतर रखा जाएगा। इसे त्वचा के नीचे (सबक्यूटेनियस) लगाया जाएगा। डेंगू वायरस के चारों प्रकारों से बचाव के लिए तैयार की गई इस वैक्सीन को लेकर कंपनी का कहना है कि क्लीनिकल ट्रायल में दूसरी डोज के 12 महीने बाद यह डेंगू से बचाव में 80.2 प्रतिशत प्रभावी रही।

एमपी विधानसभा में पेश किया गया यूसीसी बिल...मोहन कैबिनेट ने दी थी मंजूरी,सदन में विपक्ष का जोरदार हंगामा

भोपाल,20 जुलाई 2026। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) विधेयक सदन में पेश कर दिया। मंत्री गौतम टेटवाल ने विधेयक को विधानसभा पटल पर रखा। इससे एक दिन पहले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में इस विधेयक को मंजूरी दी गई थी। अब इस पर सदन में विस्तृत चर्चा दूसरे दिन होगी, जिसके बाद आगे की विधायी प्रक्रिया तय की जाएगी। सत्र की शुरुआत दिवंगत नेताओं और विभिन्न क्षेत्रों की प्रमुख हस्तियों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ हुई। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने अश्विन जोशी, पहाड़ सिंह कन्नौजे,पूर्व केंद्रीय मंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी,प्रख्यात शायर डॉ. बशीर बद्र और लोककला की प्रतिष्ठित कलाकार तीजन बाई के निधन पर शोक व्यक्त किया। श्रद्धांजलि के बाद सदन की कार्यवाही कुछ समय के लिए स्थगित भी की गई। श्रद्धांजलि प्रस्ताव के दौरान नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बरगी हादसे,पटाखा फैक्ट्री दुर्घटना और कथित तौर पर परीक्षा संबंधी घटनाओं से जुड़े मृतकों को भी श्रद्धांजलि देने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि इन घटनाओं में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति भी सदन को संवेदना व्यक्त करनी चाहिए। इस पर संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने आपत्ति जताते हुए कहा कि श्रद्धांजलि के अवसर पर इस तरह के राजनीतिक मुद्दे उठाना उचित नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध में कांग्रेस विधायक आतिफ अकील काले वस्त्र पहनकर विधानसभा पहुंचे। उन्होंने हाथों में विरोध संबंधी पोस्टर लेकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई और मांग की कि जिस प्रकार कुछ समुदायों को प्रस्तावित कानून से छूट देने की बात है।

त्रिपुरा के डीजीपी अनुराग धनखड़ की संदिग्ध मौत पुलिस मुख्यालय में मिला शव,मचा हड़कंप...

नई दिल्ली,20 जुलाई 2026। त्रिपुरा के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) अनुराग धनखड़ का शव राज्य पुलिस मुख्यालय में मिलने से पूरे प्रशासन और पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। मामले को गंभीरता से लेते हुए हर पहलू से जांच की जा रही है। गोली लगने के बाद अनुराग धनखड़ को तुरंत अगरतला के गोविंद बल्लभ पंत अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल के डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें दोपहर करीब 12 बजे लाया गया था। उस समय उनकी नब्ज और ब्लड प्रेशर नहीं था। डॉक्टरों ने 40 मिनट से अधिक समय तक सीपीआर देकर उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद दोपहर 12:48 बजे उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। मौत का सही कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद स्पष्ट होगा। प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि उन्होंने अपनी सर्विस पिस्टल से खुद को गोली मारी। हालांकि, इस कदम के पीछे की वजह अभी सामने नहीं आई है।

संपादकीय

सुनिश्चित हो दान का सदुपयोग

भारत के आदि धर्म में, जिसे प्राचीनता व्यक्त करने के लिए सनातन और भौगोलिकता व्यक्त करने के लिए हिंदू कहा जाता है, दान एक दिनचर्या है। एक नित्यकर्म है। ईशोपनिषद में उल्लेख है,त्याग की भावना के साथ भोग करो। लालच मत करो। धन किसका हुआ है? दान किसी कामना से नहीं किया जाता और जो कामना से किया जाता है,उसे तुच्छ माना जाता है। सात्विक या श्रेष्ठ दान के बारे में गीता में कहा गया है कि अपना कर्तव्य मानकर सही व्यक्ति को सही समय और स्थान पर दिया दान ही श्रेष्ठ होता है। इसीलिए हिंदू धर्म में दान लेने और उसका हिसाब-किताब और उपयोग करने वालों के लिए नियम भी कड़े बनाए गए हैं।

तप और स्वाध्याय से तपे और समाजसेवा को समर्पित लोग ही दान के प्रबंधन और सदुपयोग का दायित्व निभा सकते हैं, परंतु जिन लोगों को अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे के प्रबंधन और सदुपयोग का दायित्व सौंपा गया था वे स्पष्ट रूप से उसके पात्र नहीं थे। अन्यथा चोरी और हेराफेरी का प्रश्न ही नहीं उठता। विडंबना यह भी है कि चढ़ावा-चोरी के आरोपों से घिरे लोगों में से अधिकांश राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे हैं,जो अपनी स्थापना की शताब्दी मनाते हुए नए मनुष्य के निर्माण की बातें कर रहा है। भाजपा की राज्य और केंद्र सरकारें भी राम मंदिर के दान के प्रबंधन में भले अपनी सीधी भूमिका स्वीकार न करें, क्योंकि उनके वरिष्ठ नेता भी संघ से जुड़े रहे हैं और राम जन्मभूमि आंदोलन को अपना सभ्यतागत मिशन बना कर सत्ता में आए हैं।

स्वाभाविक है कि उनकी भूमिका पर अंगुलियां उठना भी स्वाभाविक है, बल्कि सवाल तो जांच प्रक्रिया की गंभीरता और पारदर्शिता पर भी उठ रहे हैं। अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर को हिंदू आस्था के प्रतीकों के सदियों से जारी पराभव के विराम और उनकी पुनः प्रतिष्ठा के उद्घोष के रूप में देखा जाता है। इसलिए वहां हुई चढ़ावा-चोरी ने लोगों को विशेष रूप से विचलित किया है। यह सब स्वयं को हिंदू हितरक्षक बताने वाली सरकार की छत्रछाया में हुआ, जिसने इस पीड़ा को और बढ़ाया है। इसलिए सरकारी जांच पर संदेह होना अस्वाभाविक नहीं है। दक्षिण भारत के जिन मंदिरों का वित्तीय प्रबंधन राज्य सरकारों की देखरेख में है वहां और भी गंभीर घोटाले होते रहे हैं। भारत में सबसे अधिक चढ़ावा प्राप्त करने वाले मंदिर तिरुपति देवस्थानम् के प्रसाद में दो साल पहले मिलावटी घी के प्रयोग का मामला सामने आया था।

पिछले वर्ष केरलम के सबरीमला मंदिर से सोने की चोरी पर विवाद हुआ था। वैसे जो मंदिर सरकारों की देखरेख में नहीं हैं वे भी हेराफेरी से अछूते नहीं रहे हैं। तीन साल पहले केदारनाथ धाम मंदिर से करोड़ों के सोने की चोरी के आरोप लगे थे। बदरीनाथ धाम में भी चढ़ावा चोरी के आरोप लगे हैं, जिनकी जांच जारी है।

दुनिया का कोई धर्म ऐसा नहीं है,जिसके पूजा स्थलों और धार्मिक संस्थाओं में दान की हेराफेरी न होती हो। दान की सबसे बड़ी हेराफेरी दुनिया के सबसे अमीर कैथलिक ईसाई धर्मराज्य वेटिकन में भी हुई। पांच साल पहले वहां के एक कार्डिनल ने लंदन के प्रोपर्टी बाजार में निवेश के बहाने वेटिकन के 10 करोड़ डॉलर ठग लिए थे।

चर्च अध्ययन केंद्र की पिछले साल छपी रिपोर्ट के अनुसार ईसाई चर्चों और उनसे जुड़ी संस्थाओं को हर साल करीब 94,500 करोड़ डॉलर का दान मिलता है,जिसमें से लगभग 6,200 करोड़ हेराफेरी में चला जाता है। यहां पूर्वी और पश्चिमी लंदन की मस्जिदों में पिछले साल दस-दस करोड़ रुपयों की हेराफेरी और भ्रष्टाचार को लेकर हंगामा हुआ था। एशिया और यूरोप में समय-समय पर जकात के नाम पर ठगने वाली फर्जी इस्लामी संस्थाएं पकड़ी जाती हैं,लेकिन दूसरे धर्मों के पूजास्थलों और संस्थाओं में दान की हेराफेरी का होना राम मंदिर के दान की चोरी से लगे आघात को कम नहीं कर सकता।

देश के आर्थिक विकास के साथ-साथ हिंदू आस्था का भी पुनर्जागरण हो रहा है और उसके साथ-साथ चढ़ावे और दान की मात्रा भी बढ़ रही है। इसलिए इसका सदुपयोग सुनिश्चित करने वाली राष्ट्रव्यापी पारदर्शी व्यवस्था की आवश्यकता है। इसका दायित्व सरकारों पर नहीं छोड़ा जा सकता और न ही छोड़ा जाना चाहिए,क्योंकि सरकारें अपने राजनीतिक हितों के लिए उसका दुरुपयोग कर सकती हैं। वैसे भी,पंथनिरपेक्ष लोकतंत्र में सभी धर्मों को अपने पूजास्थलों और संस्थाओं के वित्तीय प्रबंधन में बराबर की स्वायत्तता मिलनी चाहिए। इसलिए हिंदू धर्मगुरुओं और धर्माचार्यों को ही एकजुट होकर ऐसी पारदर्शी व्यवस्था बनाने की पहल करनी होगी जो मंदिरों में आने वाले चढ़ावे और दान का सदुपयोग हिंदू धर्म और समाज की उन्नति के लिए सुनिश्चित करा सके।

देश के बीस बड़े मंदिरों को मिलाकर ही देखें तो उनमें कुल लगभग 10 हजार करोड़ सालाना का दान और चढ़ावा आता है, जिसमें से आधा तो अकेले तिरुपति मंदिर का है। इन मंदिरों के पास कुल मिलाकर लगभग पांच लाख करोड़ की संपत्तियां भी हैं,जिनके सदुपयोग से हिंदु समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण के साथ-साथ संस्कृति और इतिहास की रक्षा के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। यह करना आसान नहीं होगा,क्योंकि हिंदू धर्म में हर किसी को अपना आराध्य और उपासना मार्ग तय करने की स्वतंत्रता है।

हालांकि इससे भी बड़ी चुनौतियां ईसा से पूर्व वेदव्यास और आठवीं सदी में आदि शंकराचार्य के समक्ष भी थीं। वेदव्यास ने अपनी लेखनी और शंकराचार्य ने दार्शनिक और संगठनात्मक प्रतिभा से समाज को एकजुट किया जिससे धर्म का पुनर्जागरण हुआ। आज इंटरनेट मीडिया,सभाओं और प्रवचनों के माध्यम से हिंदुओं की आस्था के विभिन्न पहलुओं,इतिहास और सांस्कृतिक मान्यताओं पर प्रहार हो रहे हैं। उन्हें बांटने और लड़ाने के षड्यंत्र चल रहे हैं। यही समय है शंकराचार्यों और दूसरे धर्माचार्यों के लिए अपनी विरासत को याद करने का और राजनीतिक प्रश्रयों और प्रलोभनों को तिलांजलि देते हुए एक ऐसी पारदर्शी व्यवस्था कायम करने का जो देश भर के मंदिरों और धार्मिक संस्थाओं के दान को हिंदू समाज और विचारधारा की उन्नति में भूमिका निभा सके।

सुविचार

पेपर लीक,युवा आक्रोश और सत्ता की चुप्पी

संवाद से ही सुलझेगा युवा असंतोष

योगेश कुमार गोयल
नजफगढ़, नई दिल्ली

18 जुलाई को दिल्ली के जंतर-मंतर पर जो कुछ हुआ,उसने लोकतंत्र के चेहरे पर कई असहज सवाल खड़े कर दिए हैं। एक ओर शांतिपूर्ण, संवैधानिक और नैतिक विरोध के प्रतीक के तौर पर वैज्ञानिक, नवाचारकर्ता और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक आमरण अनशन पर बैठे थे तो दूसरी ओर राज्य की शक्ति का वह रूप सामने आया,जिसने संवाद की जगह बल प्रयोग को प्राथमिकता दी। जिस तरह से उन्हें सफेद चादर में लपेटकर पुलिस द्वारा जबरन उठाकर अस्पताल ले जाया गया,वह दृश्य केवल एक व्यक्ति के साथ हुई कार्रवाई नहीं थी बल्कि उस पूरी सोच का प्रतीक था,जिसमें असहमति को समस्या मान लिया गया है। सरकार का यह अनुमान कि वांगचुक को हटाने के बाद आंदोलन स्वतः समाप्त हो जाएगा,एक गंभीर राजनीतिक भूल साबित हुआ। इसके विपरीत,इस कार्रवाई ने युवाओं के भीतर दबी हुई असंतोष की आग को हवा दे दी। यह केवल एक भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं थी बल्कि उस गहरे अविश्वास का परिणाम थी,जो पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न मुद्दों पर लगातार पनपता रहा है। जब एक शांतिपूर्ण आंदोलन को इस तरह कुचलने का प्रयास किया जाता है तो यह संदेश जाता है कि सरकार संवाद के बजाय दमन को अधिक प्रभावी मानती है।

लोकतंत्र का मूल तत्व यह है कि नागरिकों को अपनी बात कहने,विरोध करने और अपनी मांगों के लिए शांतिपूर्वक संघर्ष करने का अधिकार हो। यह अधिकार केवल संविधान की किताबों तक सीमित नहीं रहना चाहिए बल्कि उसका सम्मान व्यवहार में भी होना चाहिए। जब तक कोई आंदोलन हिंसक नहीं होता,तब तक उसे दबाने के बजाय समझने और समाधान निकालने की कोशिश होनी चाहिए। लेकिन जंतर-मंतर की घटना ने यह संकेत दिया कि सरकार इस बुनियादी सिद्धांत से दूर होती जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे महत्वपूर्ण पहलू युवाओं की प्रतिक्रिया है। आज का युवा केवल भावनाओं से नहीं बल्कि सूचनाओं और जागरूकता से संचालित होता है। वह हर घटना को देखता है, उसका विश्लेषण करता है और फिर अपनी प्रतिक्रिया देता है। सोनम वांगचुक के साथ हुई घटना ने युवाओं को महसूस कराया कि उनकी आवाज को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। यही कारण है कि 'चलो संसद' के आह्वान को अभूतपूर्व समर्थन मिला।

यहां यह समझना भी जरूरी है कि यह आक्रोश केवल एक घटना का परिणाम नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में बार-बार पेपर लीक, परीक्षाओं में अनियमितताएं और परिणामों में कथित धांधली ने छात्रों के भविष्य को अस्थिर कर दिया है। नीट जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा,जिस पर लाखों छात्रों का करियर निर्भर करता है,उसमें भी पारदर्शिता पर सवाल उठना बेहद गंभीर मामला है। जब बार-बार ऐसी घटनाएं सामने आती हैं और उनके समाधान में देरी या अस्पष्टता दिखाई देती है तो युवाओं का विश्वास डगमगाना स्वाभाविक है। यही कारण है कि पिछले कुछ वर्षों से छात्र आत्महत्या के मामले भी बढ़ रहे हैं। छात्र और युवा जब ऐसे में

प्रकाशक: दैनिक घटती-घटना

अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरते हैं तो उन्हें केवल कानून-व्यवस्था का मुद्दा मानकर नहीं देखा जाना चाहिए। यह एक सामाजिक और मनोवैज्ञानिक संकट का संकेत है। यदि सरकार इस संकेत को समझने में विफल रहती है तो यह असंतोष भविष्य में और अधिक व्यापक रूप ले सकता है। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर सरकार का कठोर रुख भी इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए।

किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जवाबदेही एक अनिवार्य तत्व होती है। यदि किसी प्रणाली में बार-बार खामियां सामने आती हैं तो जिम्मेदारी तय करना और सुधार के ठोस कदम उठाना आवश्यक होता है लेकिन जब सरकार इन मांगों को नजरअंदाज करती है या उन्हें राजनीतिक रंग देकर खारिज कर देती है तो यह युवाओं के बीच निराशा और गुस्से को और बढ़ाता है। सोनम वांगचुक जैसे व्यक्ति,जिनकी छवि एक शांत,सकारात्मक और समाधान-उन्मुख कार्यकर्ता की रही है,उनके साथ इस तरह का व्यवहार और भी अधिक चिंताजनक है। यह केवल एक व्यक्ति का अपमान नहीं बल्कि उन मूल्यों का भी अपमान है, जिनका वे प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि ऐसे व्यक्तियों के साथ भी संवाद के बजाय बल प्रयोग का रास्ता अपनाया जाएगा तो आम नागरिक को क्या संदेश जाएगा? यह भी ध्यान देने योग्य है कि अदालत ने यदि अनशन को समाप्त कराने के निर्देश दिए भी थे तो उसका पालन मानवीय और गरिमापूर्ण तरीके से भी किया जा सकता था। किसी भी व्यक्ति के साथ इस तरह का व्यवहार,जिसमें उसकी गरिमा को ठेस पहुंचे,लोकतांत्रिक मर्यादाओं के अनुरूप नहीं कहा जा सकता। कानून का पालन आवश्यक है लेकिन उसका क्रियान्वयन भी उतना ही संवेदनशील और मानवीय होना चाहिए।

20 जुलाई को 'चलो संसद' के दौरान जो कुछ हुआ,उसने इस पूरे संकट को और गहरा कर दिया। युवाओं पर बल प्रयोग,उन्हें रोकने के लिए कठोर उपाय और उनके आक्रोश को नियंत्रित करने की कोशिशें यह दर्शाती हैं कि सरकार समस्या के मूल कारणों को समझने के बजाय उसके लक्षणों से लड़ रही है। यह रणनीति अल्पकालिक रूप से भले ही व्यवस्था बनाए रखने में सहायक हो लेकिन दीर्घकालिक रूप से यह असंतोष को और बढ़ाती है। सवाल यह है कि इस स्थिति का समाधान क्या है? सबसे पहले, सरकार को यह स्वीकार करना होगा कि समस्या वास्तविक है और उसे केवल राजनीतिक विरोध के रूप में नहीं देखा जा सकता। संवाद की प्रक्रिया को तुरंत शुरू करना होगा,जिसमें आंदोलनकारियों,छात्रों और विशेषज्ञों को शामिल किया जाए। केवल औपचारिक बैठकों से काम नहीं चलेगा बल्कि ठोस और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करने होंगे। दूसरा, शिक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए ठोस सुधार आवश्यक हैं। परीक्षाओं की सुरक्षा, मूल्यांकन की निष्पक्षता और परिणामों की विश्वसनीयता को लेकर जो संदेह पैदा हुए हैं,उन्हें दूर करना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। इसके लिए तकनीकी उपायों के साथ-साथ प्रशासनिक सुधार भी जरूरी हैं। तीसरा, कानून-व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर अनावश्यक बल प्रयोग से बचना होगा। लोकतंत्र में असहमति को स्थान देना ही उसकी ताकत होती है। यदि हर विरोध को दबाने की कोशिश की जाएगी तो यह लोकतंत्र को कमजोर ही करेगा। सरकार को यह समझना होगा कि असहमति दुश्मनी नहीं होती बल्कि सुधार का अवसर होती है। चौथा, युवाओं के साथ विश्वास का रिश्ता फिर से स्थापित करना होगा। इसके लिए केवल घोषणाएं या बयान पर्याप्त नहीं होंगे,ठोस कार्यवाही और परिणाम दिखाने होंगे। जब युवा यह महसूस करेंगे कि उनकी बात सुनी जा रही है और उस पर कार्रवाई हो रही है, तभी उनका विश्वास लौटेगा।

अंततः,यह समय सरकार और समाज दोनों के लिए आत्ममंथन का है। क्या हम एक ऐसे लोकतंत्र की ओर बढ़ रहे हैं, जहां असहमति को दबाया जाता है या एक ऐसे लोकतंत्र की ओर,जहां हर आवाज को सम्मान मिलता है? यह निर्णय केवल नीतियों से नहीं बल्कि व्यवहार से तय होगा। सोनम वांगचुक के साथ हुई घटना और उसके बाद का घटनाक्रम एक चेतावनी है कि यदि इसे समय रहते नहीं समझा गया तो यह केवल एक आंदोलन तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि एक व्यापक जन असंतोष में बदल सकता है। लोकतंत्र की असली ताकत सत्ता में नहीं बल्कि जनता के विश्वास में होती है। यदि यह विश्वास कमजोर पड़ता है तो सबसे बड़ी हार सत्ता की ही होती है। अब भी समय है कि सरकार संवाद, संवेदनशीलता और समा धान का रास्ता चुने क्योंकि लोकतंत्र में जीत उसी की होती है, जो अपने नागरिकों को साथ लेकर चलता है,न कि उन्हें चुप कराकर।

विक्रम-1: नए भारत की अंतरिक्ष उड़ान का स्वर्णिम अध्याय

ललित गर्ग
पटपड़गंज,नई दिल्ली

भारत ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया है कि यदि संकल्प,वैज्ञानिक दृष्टि और नवाचार का संगम हो तो आकाश भी सीमा नहीं,बल्कि संभावनाओं का प्रारंभ बन जाता है। भारत के पहले निजी ऑर्बिटल रॉकेट 'विक्रम-1' का सफल प्रक्षेपण केवल एक तकनीकी उपलब्धि नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत,नवाचार आधारित अर्थव्यवस्था और विज्ञान-प्रधान भविष्य की ओर बढ़ते राष्ट्र का एक नया घोषणापत्र है। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 'मिशन आगमन' के अंतर्गत हुई यह ऐतिहासिक उड़ान भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के इतिहास में एक ऐसे स्वर्णिम अध्याय के रूप में दर्ज हो गई है, जिसने यह स्पष्ट कर दिया कि अब अंतरिक्ष विज्ञान केवल सरकारी संस्थानों तक सीमित नहीं रहेगा,बल्कि निजी उद्यम भी वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारत का नेतृत्व करेंगे। निश्चित ही विक्रम-1 नए भारत की अंतरिक्ष उड़ान का स्वर्णिम अध्याय एवं निजी अंतरिक्ष क्रांति की आकाशीय सफलताओं की नई जमीन है। विक्रम-1 की सफलता उस महान वैज्ञानिक डॉ. विक्रम साराभाई के स्वप्न को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है,जिन्होंने कभी कहा था कि भारत जैसे विकासशील देश के लिए अंतरिक्ष विज्ञान विलासिता नहीं,बल्कि विकास का अनिवार्य साधन है। आज उसी विचार की आधुनिक अभिव्यक्ति स्काईरूट एयरोस्पेस के रूप में दिखाई देती है,जिसने अपने पहले ही प्रयास में इतिहास रच दिया। यह उपलब्धि इसलिए भी विशेष है क्योंकि इस समय दुनिया में केवल कुछ ही देशों के निजी उपक्रम ऑर्बिटल रॉकेट विकसित कर पाए हैं।

भारत अब उस विशिष्ट समूह में शामिल हो गया है,जहां नवाचार, वैज्ञानिक कौशल और उद्यमशीलता मिलकर नई संभावनाओं का निर्माण कर रहे हैं। अमेरिका के स्पेसएक्स ने जिस निजी अंतरिक्ष क्रांति की शुरुआत की थी,भारत ने अब उसका अपना स्वदेशी संस्करण प्रस्तुत कर दिया है।

विक्रम-1 की तकनीकी विशेषताएं भी इसे विशिष्ट बनाती हैं। पूरी तरह कार्बन कंपोजिट से निर्मित यह रॉकेट अपेक्षाकृत हल्का, अधिक मजबूत तथा कम लागत वाला है। थ्री-डी प्रिंटिंग जैसी अत्याधुनिक तकनीकों के उपयोग ने इसके निर्माण खर्च को उल्लेखनीय रूप से कम किया है। इसका सीधा अर्थ है कि भविष्य में छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपण का वैश्विक बाजार भारत के लिए नए आर्थिक अवसर लेकर आएगा। आज दुनिया में संचार,मौसम पूर्वानुमान,कृषि, रक्षा,आपदा प्रबंधन, इंटरनेट सेवाएं और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित तकनीकों के लिए हजारों छोटे उपग्रहों की आवश्यकता बढ़ रही है। ऐसे में भारत कम लागत और उच्च विश्वसनीयता के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर सकता है। 'विक्रम-1'को विकसित करने वाली निजी कंपनी 'स्काईरूट एयरोस्पेस' ने भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई के नाम पर इस रॉकेट का नामकरण कर न सिर्फ उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की है,बल्कि हमारे औद्योगिक घरानों को भी यह संदेश दिया है कि कारोबार करते हुए भी अपने देश की समृद्ध विरासत का सम्मान किया जाना चाहिए।

गौर कीजिए,अप्रैल 1975 में जब भारत ने अपना पहला उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा था, तब उसका नामकरण महान खगोल वैज्ञानिक आर्यभट्ट के नाम पर किया गया था। यह सफलता केवल एक कंपनी की उपलब्धि नहीं है। यह उस नई नीति का परिणाम भी है जिसके अंतर्गत

भारत सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी निवेश और स्टार्टअप के लिए खोलने का साहसिक निर्णय लिया। नई अंतरिक्ष नीति, इन-स्पेस जैसी संस्थाओं की स्थापना तथा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए उदार प्रावधानों ने भारतीय युवाओं के सामने नए अवसरों के द्वार खोल दिए हैं। आज देश में अनेक स्पेस स्टार्टअप उपग्रह निर्माण,प्रक्षेपण प्रणाली,अंतरिक्ष संचार और डेटा सेवाओं के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। यह परिवर्तन भारत को ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की दिशा में मजबूत आधार प्रदान करेगा। किन्तु हर सफलता अपने साथ नई चुनौतियां भी लेकर आती है।

विक्रम-1 की पहली उड़ान सफल अवश्य रही है,परंतु अंतरिक्ष उद्योग में स्थायी सफलता केवल एक प्रक्षेपण से सुनिश्चित नहीं होती। स्काईरूट एयरोस्पेस को अब वैश्विक बाजार में स्पेसएक्स, रॉकेट लैब तथा चीन की अनेक निजी कंपनियों जैसी सशक्त प्रतिस्पर्धा का सामना करना होगा। नियमित ग्राहक, समय पर प्रक्षेपण,कम लागत,उच्च विश्वसनीयता तथा भविष्य में पुनः प्रयोज्य रॉकेट तकनीक विकसित करना उसकी अगली बड़ी परीक्षा होगी। अंतरिक्ष उद्योग में विश्वास सबसे बड़ी पूंजी होता है और वह निरंतर सफल अभियानों से ही अर्जित किया जा सकता है। इस ऐतिहासिक सफलता के बीच एक गंभीर प्रश्न भी हमारे सामने खड़ा है-क्या इसरो अपनी वैज्ञानिक प्रतिभाओं को लंबे समय तक अपने साथ बनाए रख पाएगा? हाल के वर्षों में अनेक अनुभवी वैज्ञानिक निजी क्षेत्र की ओर आकर्षित हुए हैं। इसका कारण केवल अधिक वेतन नहीं, बल्कि बेहतर कार्य संस्कृति, अनुसंधान की स्वतंत्रता,त्वरित निर्णय प्रक्रिया और नवाचार के लिए अनुकूल वातावरण भी है।

इसरो ने भारत को चंद्रयान, मंगलयान,आदित्य-एल1,गगनयान जैसी ऐतिहासिक उपलब्धियां दी हैं। सीमित संसाधनों में विश्वस्तरीय परिणाम देकर इसरो ने पूरी दुनिया का सम्मान अर्जित किया है। किंतु यदि प्रतिभाशाली वैज्ञानिक धीरे-धीरे संस्थान से बाहर जाते रहे तो दीर्घकाल में अनुसंधान और राष्ट्रीय अंतरिक्ष कार्यक्रम प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए इसरो के सामने सबसे बड़ी चुनौती केवल नए मिशन तैयार करना नहीं,बल्कि वैज्ञानिक प्रतिभाओं को प्रेरित, सम्मानित और संतुष्ट बनाए रखना भी है। सरकार को चाहिए कि इसरो के वैज्ञानिकों के लिए प्रतिस्पर्धी वेतन संरचना, अत्याधुनिक अनुसंधान सुविधाएं,निर्णय लेने की अधिक स्वतंत्रता तथा नवाचार को प्रोत्साहित करने वाली नीतियां विकसित करे। सरकारी संस्थानों और निजी कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा नहीं, बल्कि सहयोग का वातावरण तैयार होना चाहिए। निजी क्षेत्र इसरो का विकल्प नहीं, बल्कि उसका सहयोगी बन सकता है। जिस प्रकार अमेरिका में नासा और स्पेसएक्स मिलकर अंतरिक्ष कार्यक्रमों को नई ऊंचाइयों तक ले जा रहे हैं, उसी प्रकार भारत में इसरो और निजी कंपनियों का समन्वय देश को वैश्विक नेतृत्व प्रदान कर सकता है।

पी. वी. सिंधु की स्वर्णिम उड़ान...!

संजय एम तराणेकर
इन्दौर,मध्यप्रदेश

रैकेट में था साहस,
आँखों में विश्वास,
हर स्मैश में गूँजा
भारत का उल्लास।
जापान की धरा पे
ऐसा कमाल किया,
सिंधु ने देश का
मस्तक ऊँचा किया।

हर कदम संघर्षों की
लौ जलती रही,
मेहनत की कथा
चुपचाप पलती रही।
हाँ,विश्व विजेता भी
उनके सामने आई,
यूं सिंधु की दृढ़ता
हर चुनौती पर छाई।

हर अंक में धैर्य,
प्रत्येक प्रहार में जान,
तिरंगे की शान बनी हैं
उनकी पहचान।
इतिहास के पन्नों पे
स्वर्णाक्षर लिख गए,
देश के सपनों को
पुनः से सच कर गए।

बेटियों की शक्ति का
ये अनुपम सम्मान,
देश को तुम पर है
सदा-सदा अभिमान।
यूँ ही बढ़ती रहो,
छूती रहो हरेक शिखर,
पी. वी. सिंधु,
तुमसे रोशन है यह सफर।

सोशल मीडिया पर 'मर्दाना कमजोरी' का बढ़ता बाजार

मुनाफे का खेल,पुरुषों की असुरक्षा और डिजिटल धोखाधड़ी

डॉ. सत्यवान सौरभ
भिवानी,हरियाणा

डिजिटल क्रांति ने समाज को अभूतपूर्व सुविधाएँ प्रदान की हैं। आज स्वास्थ्य संबंधी जानकारी,विशेषज्ञों की सलाह और चिकित्सा सेवाएँ कुछ क्लिक की दूरी पर उपलब्ध हैं। लेकिन इसी डिजिटल दुनिया का एक दूसरा चेहरा भी है,जहाँ लोगों की कमजोरियों,आशंकाओं और सामाजिक संकोच को मुनाफे के अवसर में बदल दिया गया है। सोशल मीडिया पर यदि कोई क्षेत्र सबसे तेज़ी से फैल रहा है,तो वह है 'मर्दाना कमजोरी' के नाम पर चल रहा विज्ञापनों और उत्पादों का विशाल कारोबार। फेसबुक, इंस्टाग्राम,यूट्यूब,शॉर्ट वीडियो प्लेटफ़ॉर्म और मैसेजिंग ऐप्स पर ऐसे विज्ञापनों की बाढ़ है, जो कुछ दिनों में पुरुषत्व बढ़ाने, वैवाहिक जीवन सुधारने या चमत्कारी शक्ति देने का दावा करते हैं। यह केवल एक व्यावसायिक प्रवृत्ति नहीं, बल्कि सामाजिक मनोविज्ञान,स्वास्थ्य साक्षरता और डिजिटल नियमन से जुड़ा गंभीर विषय है। यह उद्योग पुरुषों की उस झिझक का लाभ उठाता है, जो उन्हें यौन स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर खुले रूप से चर्चा करने से रोकती है। विज्ञापन पहले भय पैदा करते हैं, फिर उसी भय का समाधान बेचते हैं। यही इस पूरे कारोबार का सबसे बड़ा व्यापारिक मॉडल है।

भारतीय समाज में यौन स्वास्थ्य आज भी खुलकर चर्चा का विषय नहीं बन पाया है। अधिकांश पुरुष ऐसी समस्याओं पर परिवार या चिकित्सक से बात करने में संकोच महसूस करते हैं। इस संकोच का फायदा उठाकर सोशल मीडिया पर स्वयंभू विशेषज्ञ, बिना प्रमाण वाले वैद्य, इन्फ्लुएंसर और कई कंपनियाँ ऐसे उत्पाद बेचती हैं जिनकी प्रभावशीलता के ठोस वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं होते। सात दिन में असर, 100 प्रतिशत गारंटी, गुप्त फार्मूला,हज़ारों लोगों ने पाया लाभ जैसे दावे आकर्षक लग सकते हैं, लेकिन ये अक्सर वैज्ञानिक चिकित्सा के मानकों पर खरे नहीं उतरते।

इन विज्ञापनों की भाषा भी ध्यान देने योग्य होती है। वे सीधे उत्पाद नहीं बेचते, बल्कि पहले व्यक्ति के आत्मविश्वास पर सवाल उठाते हैं। संदेशों में यह संकेत दिया जाता है कि यदि कोई विशेष उत्पाद नहीं लिया गया,तो वैवाहिक जीवन प्रभावित होगा,सम्मान कम हो जाएगा या पुरुषत्व अधूरा रह जाएगा। इस प्रकार एक सामान्य स्वास्थ्य चिंता को सामाजिक प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान से जोड़ दिया जाता है। परिणामस्वरूप अनेक लोग बिना किसी चिकित्सकीय परामर्श के ऐसे उत्पाद खरीद लेते हैं। सोशल मीडिया के एल्गोरिद्म इस समस्या को और बढ़ा देते हैं। यदि किसी व्यक्ति ने एक बार ऐसे विज्ञापन को देखा या उस पर क्लिक किया,तो प्लेटफ़ॉर्म उसे बार-बार इसी प्रकार की सामग्री दिखाने लगते हैं। धीरे-धीरे उपयोगकर्ता को यह भ्रम होने लगता है कि यह समस्या बहुत सामान्य है और अधिकांश लोग ऐसे उत्पादों का उपयोग कर रहे हैं। यह मनोवैज्ञानिक प्रभाव कई बार अनावश्यक चिंता भी पैदा कर सकता है।

यह भी ध्यान रखना चाहिए कि यौन स्वास्थ्य केवल दवाओं से जुड़ा विषय नहीं है। अनेक मामलों में तनाव, अवसाद,मधुमेह,उच्च रक्तचाप,हार्मोन संबंधी असंतुलन,धूम्रपान,शराब का सेवन,नींद की कमी और अस्वस्थ जीवनशैली जैसी स्थितियाँ भी भूमिका निभाती हैं। ऐसे मामलों में केवल तथाकथित शक्ति बढ़ाने वाली दवा लेना समस्या का समाधान नहीं होता। सही निदान और प्रमाण-आधारित चिकित्सा ही उचित मार्ग है।

सोशल मीडिया पर चल रहे इस कारोबार में एक और चिंता नकली समीक्षाओं और झूठे अनुभवों की है। अनेक विज्ञापनों में ऐसे लोगों के कथित अनुभव दिखाए जाते हैं, जिनकी सत्यता की पुष्टि करना कठिन होता है। डॉक्टरों जैसी वेशभूषा पहनाकर विज्ञापन प्रस्तुत किए जाते हैं, जिससे आम व्यक्ति भ्रमित हो सकता है। कई बार आयुर्वेदिक,हर्बल या प्राकृतिक जैसे शब्दों का उपयोग यह धारणा बनाने के लिए किया जाता है कि उत्पाद पूरी तरह सुरक्षित है। जबकि प्राकृतिक होना अपने आप में सुरक्षा या प्रभावशीलता की गारंटी नहीं है।

यहाँ यह स्पष्ट करना भी आवश्यक है कि आयुर्वेद भारत की एक समृद्ध और वैज्ञानिक चिकित्सा परंपरा है, जिसके अपने सिद्धांत,शोध और योग्य चिकित्सक हैं। समस्या आयुर्वेद नहीं, बल्कि उसके नाम पर बिना पर्याप्त प्रमाण, बिना गुणवत्ता नियंत्रण या भ्रामक दावों के साथ उत्पाद बेचने की प्रवृत्ति है। इसलिए किसी भी चिकित्सा पद्धति में योग्य और पंजीकृत चिकित्सक से सलाह लेना आवश्यक है।

डिजिटल प्लेटफ़ॉर्मों की भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। यदि वे वित्तीय धोखाधड़ी, फर्जी निवेश योजनाओं और अन्य भ्रामक विज्ञापनों पर निगरानी रख सकते हैं,तो स्वास्थ्य संबंधी विज्ञापनों के लिए भी अधिक कठोर सत्यापन व्यवस्था विकसित की जानी चाहिए। स्वास्थ्य से जुड़े दावों का वैज्ञानिक आधार, आवश्यक अस्वीकरण और नियामक मानकों का पालन सुनिश्चित करना प्लेटफ़ॉर्मों की सामाजिक जिम्मेदारी का हिस्सा होना चाहिए।

सरकारी नियामक संस्थाओं को भी डिजिटल विज्ञापनों की निगरानी मजबूत करनी होगी। केवल प्रिंट और टेलीविजन माध्यमों पर नियम लागू करना पर्याप्त नहीं है। आज अधिकांश युवा और मध्यम आयु वर्ग सोशल मीडिया पर अधिक समय बिताता है,इसलिए भ्रामक स्वास्थ्य विज्ञापनों के विरुद्ध डिजिटल स्तर पर प्रभावी कार्रवाई आवश्यक है। साथ ही, लोगों को यह जानकारी भी दी जानी चाहिए कि किसी स्वास्थ्य समस्या की स्थिति में प्रमाणित चिकित्सक से परामर्श लेना क्यों आवश्यक है।

इस विषय का एक सामाजिक पक्ष भी है। पुरुषों से अक्सर यह अपेक्षा की जाती है कि वे शारीरिक और मानसिक रूप से हमेशा मजबूत रहें। इसी कारण कई पुरुष अपनी स्वास्थ्य समस्याओं को स्वीकार करने या सहायता लेने से बचते हैं।

सूचना
समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटिक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटारा अम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।
सम्पादक

छत्तीसगढ़ में हाथियों की मौत और जनहानि बड़ी चुनौती,रोकथाम के लिए बदलेगी रणनीति...

पीसीसीएफ बोले...देशभर की सफल तकनीक अपनाएंगे,लेमरू एलीफेंट रिजर्व और वनभूमि संरक्षण पर रहेगा विशेष फोकस

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,20 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।
छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ रहे हाथी-मानव संघर्ष और हाथियों की मौत को लेकर वन विभाग अब नई रणनीति पर काम करेगा। प्रधान मुख्य वन संरक्षक (पीसीसीएफ) अरुण कुमार पांडे ने कहा कि राज्य में मानव और हाथियों दोनों की जान बचाना सबसे बड़ी चुनौती है। इसके लिए देश के अन्य राज्यों में अपनाई जा रही सफल तकनीकों और आधुनिक प्रबंधन प्रणाली का अध्ययन कर उन्हें छत्तीसगढ़ में लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि केवल मुआवजा देना समाधान नहीं है,बल्कि ऐसी व्यवस्था विकसित करनी होगी जिससे हाथी-मानव संघर्ष की घटनाएं ही कम हों। सरगुजा प्रवास के दौरान वन विभाग के अधिकारियों की बैठक लेने के बाद पत्रकारों से चर्चा में पीसीसीएफ ने बताया कि वर्तमान में हाथियों की निगरानी मोबाइल एप और हाथी मित्र दल के माध्यम से की जा रही है। हाथियों की गतिविधियों की पूर्व सूचना ग्रामीणों तक पहुंचाकर उन्हें सतर्क किया जाता है। उन्होंने कहा कि केरल जैसे राज्यों में हाथियों की संख्या छत्तीसगढ़ से लगभग दोगुनी है, लेकिन वहां जनहानि और हाथियों की मौत के मामले अपेक्षाकृत कम हैं। वहां अपनाई गई तकनीक और प्रबंधन प्रणाली का अध्ययन कर उसे छत्तीसगढ़ में लागू किया जाएगा। पीसीसीएफ ने स्वीकार किया कि हाथियों की मौत भी गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि फसल और संपत्ति के नुकसान का मुआवजा सरकार देती है,लेकिन किसी व्यक्ति की जान या वन्यजीव की मौत की भरपाई संभव नहीं है। इसलिए विभाग का पूरा जोर

संघर्ष की घटनाओं को रोकने और दोनों पक्षों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर रहेगा। वनभूमि पर बढ़ते अतिक्रमण को भी उन्होंने गंभीर समस्या बताया। उन्होंने कहा कि कई क्षेत्रों में वनभूमि पर लगातार कब्जे हो रहे हैं, जिससे हाथियों के प्राकृतिक आवास प्रभावित हो रहे हैं। अधिकारियों को नियमित मॉनिटरिंग और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। एसईसीएल के अधिकारियों के साथ संयुक्त टीम बनाकर कोयला चोरी और वनभूमि पर अतिक्रमण रोकने के लिए भी अभियान चलाया जाएगा। सामाजिक वानिकी के विस्तार पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। हसदेव क्षेत्र में नई कोयला खदानों के कारण पेड़ों की कटाई और जैव विविधता पर पडने वाले प्रभाव के संबंध में उन्होंने कहा कि इसका वास्तविक आकलन दीर्घकालिक अध्ययन के बाद ही संभव होगा। फिलहाल इस विषय पर कोई अंतिम निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा। उन्होंने कहा कि वन विभाग नए पौधे भी लगा रहा है और पर्यावरणीय प्रभावों की लगातार निगरानी की जा रही है। पीसीसीएफ ने बताया कि लेमरू एलीफेंट रिजर्व का क्षेत्रफल बढ़ाकर 1,995 वर्ग किलोमीटर कर दिया गया है और इसका अधिसूचना भी जारी हो चुकी है। परियोजना के लिए राशि स्वीकृत हो गई है तथा विकास कार्य जल्द गति पकड़ेंगे।

उन्होंने कहा कि संरक्षित क्षेत्रों में यदि कहीं पुनर्वास की आवश्यकता होगी तो वह पूरी तरह ग्रामीणों की सहमति और नियमानुसार ही किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हाथी-मानव संघर्ष जैसी चुनौती का समाधान केवल वन विभाग के प्रयासों से संभव नहीं है। इसके लिए स्थानीय समुदाय, जनप्रतिनिधियों, प्रशासन और आम नागरिकों के सहयोग से दीर्घकालिक और वैज्ञानिक रणनीति पर काम करना होगा, ताकि मानव जीवन और वन्यजीव दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

1.92 करोड़ के केसीसी ऋण घोटाले में कंप्यूटर ऑपरेटर गिरफ्तार

127 किसानों के फर्जी हस्ताक्षर कर निकाली गई थी राशि,अन्य आरोपी अब भी फरार

-संवाददाता-
सीतापुर,20 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।
जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की पेटला शाखा में हुए करीब 1.92 करोड़ रुपये के कथित केसीसी ऋण घोटाले में सीतापुर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा के निर्देशन में की गई कार्रवाई में दैनिक वेतनभोगी कंप्यूटर ऑपरेटर दीपक कुमार चक्रधारी (29 वर्ष) को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। पुलिस ने बताया कि मामले के अन्य आरोपी अभी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। पुलिस के अनुसार, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक, अंबिकापुर की पेटला शाखा में केसीसी ऋण वितरण में अनियमितताओं की जांच के दौरान 127 किसानों के फर्जी हस्ताक्षर कर 1 करोड़ 92 लाख 82 हजार 96 रुपये निकाले जाने का मामला सामने आया था। जांच रिपोर्ट में तत्कालीन प्रभारी शाखा प्रबंधक भूपेंद्र सिंह परिहार, सहायक लेखापाल शिवशंकर सोनी,कैशियर ललिता सिन्हा,सामान्य सहायक सुमित कुमार,दैनिक वेतनभोगी कंप्यूटर ऑपरेटर दीपक कुमार चक्रधारी, तत्कालीन प्राधिकृत अधिकारी मदन सिंह, जोगी राम, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक सैनाथ केरकेट्टा तथा तत्कालीन समिति प्रबंधक को संयुक्त रूप से जिम्मेदार ठहराया गया। इसके आधार पर थाना सीतापुर में अपराध क्रमांक 188/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया। विवेचना के दौरान पुलिस ने आरोपी दीपक कुमार चक्रधारी, निवासी अखोराकला थाना जयनगर जिला सूरजपुर, को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर धोखाधड़ी में शामिल होने की बात स्वीकार की। इसके बाद उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

जमीन विवाद में बच्चों को बनाया माध्यम, पिकअप में भरकर कलेक्टोरेट पहुंचे ग्रामीण

स्कूल मार्ग खुलवाने की मांग,डीईओ बोले...बच्चों को विवाद में लाना गलत,जांच कर शिक्षकों पर होगी कार्रवाई

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,20 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।
शहर से लगे सोनपुर कला के सरनापारा में प्राथमिक स्कूल तक पहुंचने वाले रास्ते को लेकर चल रहे जमीन विवाद में स्कूली बच्चों को शामिल किए जाने का मामला सामने आया है। शुक्रवार को ग्रामीण तीन दर्जन से अधिक छोटे बच्चों को एक पिकअप वाहन में बैठाकर कलेक्टोरेट पहुंचे और स्कूल तक आने-जाने का रास्ता खुलवाने की मांग की। कलेक्टोरेट परिसर में एक साथ बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों के पहुंचने से लोगों का ध्यान इस ओर गया और पूरे घटनाक्रम को लेकर सवाल उठने लगे। जानकारी के अनुसार सरनापारा स्थित प्राथमिक स्कूल

तक पहुंचने का रास्ता एक निजी भूमि से होकर गुजरता है। भूमि स्वामी द्वारा रास्ता बंद किए जाने के बाद बच्चों और ग्रामीणों को स्कूल आने-जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी मांग को लेकर ग्रामीण बच्चों के साथ कलेक्टोरेट पहुंचे और प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर रास्ता खुलवाने की मांग की। हालांकि इस पूरे मामले में सबसे अधिक चर्चा इस बात को लेकर रही कि जमीन विवाद जैसे मामले में छोटे बच्चों को प्रदर्शन का हिस्सा क्यों बनाया गया। ग्रामीण जहां बच्चों को पिकअप वाहन में बैठाकर कलेक्टोरेट लाए, वहीं बताया जा रहा है कि स्कूल के शिक्षक स्वयं बाइक और स्कूटी से वहां पहुंचे। ऐसे में बच्चों को असुरक्षित तरीके से पिकअप में लाने और उन्हें विवाद का माध्यम बनाने को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पिकअप में क्षमता से अधिक बच्चे बैठे थे। गर्मी और भीड़ के बीच छोटे बच्चों को इस तरह कलेक्टोरेट लाना उनकी सुरक्षा की दृष्टि से भी उचित नहीं माना जा रहा है। लोगों का कहना है कि बच्चों की शिक्षा और सुरक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए तथा किसी भी प्रशासनिक या भूमि विवाद में उन्हें आगे नहीं किया जाना चाहिए। मामले की जानकारी सामने आने के बाद जिला शिक्षा विभाग ने भी इसे गंभीरता से लिया है। जिला शिक्षा अधिकारी दीनेश झा ने स्पष्ट कहा कि यदि शिक्षक बच्चों को लेकर इस प्रकार के विवाद में शामिल हुए हैं तो यह अनुचित है। पूरे मामले की जांच कराई जाएगी और यदि शिक्षकों की भूमिका सामने आती है तो उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

सरगुजा पुलिस ने लौटाए 129 गुम मोबाइल,31 लाख रुपये के फोन पहुंचे असली मालिकों तक

विशेष अभियान में साइबर सेल और थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई,साइबर ठगी से बचाव का भी दिया संदेश

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,20 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।
सरगुजा पुलिस ने गुम हुए मोबाइल फोन बरामद करने के विशेष अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल करते हुए 129 गुम मोबाइल फोन उनके असली मालिकों को वापस सौंप दिए।

बरामद मोबाइलों की कुल अनुमानित कीमत करीब 31 लाख रुपये है। पुलिस लाइन स्थित सभागार में आयोजित कार्यक्रम में डीआईजी एवं एसएसपी राजेश कुमार अग्रवाल ने मोबाइल धारकों को उनके फोन सौंपे और साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक किया। डीआईजी एवं एसएसपी के निर्देशन में साइबर सेल अंबिकापुर तथा जिले के सभी थाना-चौकी पुलिस की संयुक्त टीम ने पिछले पांच महीनों में सर्विलांस तकनीक की मदद से इन मोबाइलों का पता लगाया। इससे पहले भी फरवरी 2026 में सरगुजा पुलिस 525 गुम मोबाइल बरामद कर उनके मालिकों को सौंप चुकी है। कार्यक्रम में एसएसपी ने नागरिकों को 'POLICE' की-वर्ड के माध्यम से साइबर सुरक्षा की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि P-Password, O-OTP, L-Link, I-Identification, C-Careful और E-Emergency जैसे सरल सूत्र अपनाकर अधिकांश साइबर ठगी से बचा जा सकता है। उन्होंने लोगों से पासवर्ड और ओटीपी किसी से साझा नहीं करने,संदिग्ध लिंक पर क्लिक नहीं करने तथा व्यक्तिगत दस्तावेजों का दुरुपयोग रोकने की अपील की। पुलिस ने ऑनलाइन ठगी की स्थिति में तत्काल 1930 हेल्पलाइन पर शिकायत करने तथा नजदीकी पुलिस थाना या साइबर सेल से संपर्क करने की सलाह दी।

साथ ही नागरिकों को भारत सरकार के CEIR पोर्टल पर गुम मोबाइल की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए भी प्रेरित किया। कार्यक्रम के दौरान राहवीर योजना की जानकारी देते हुए बताया गया कि सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को समय पर अस्पताल पहुंचाने वाले नागरिक को शासन की ओर से 25 हजार रुपये तक की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। वहीं, अवैध प्रवासियों की सूचना के लिए टोल-फ्री नंबर 1800-233-1905,सरगुजा पुलिस हेल्पलाइन 9479193599 तथा डायल 112 की जानकारी भी साझा की गई।

मोबाइल प्राप्त करने वाले लोगों ने पुलिस की तकनीकी दक्षता और त्वरित कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि उन्हें अपने मोबाइल वापस मिलने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन सरगुजा पुलिस के प्रयासों से उनकी उम्मीद पूरी हुई।

दो सप्ताह बाद भी कार्रवाई नहीं,कांग्रेस ने फिर खटखटाया आईजी का दरवाजा

भाजपा नेताओं से जुड़े कथित भ्रष्टाचार,मारपीट और जमीन धोखाधड़ी मामलों में कार्रवाई की जानकारी मांगी,संतोषजनक कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,20 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।
भाजपा नेताओं एवं उनके समर्थकों से जुड़े कथित भ्रष्टाचार,मारपीट और जमीन धोखाधड़ी के मामलों में कार्रवाई की मांग को लेकर सोमवार को जिला कांग्रेस कमेटी का प्रतिनिधिमंडल जिलाध्यक्ष बालकृष्ण पाठक के नेतृत्व में सरगुजा रेंज के आईजी दीपक झा से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने पूर्व में सौंपे गए ज्ञापनों पर हुई कार्रवाई की जानकारी मांगी। कांग्रेस का आरोप है कि पिछले माह कलाकेंद्र मैदान के आबंटन में कथित रिश्वतखोरी से जुड़ा एक मोबाइल ऑडियो वायरल हुआ था,जिसमें लेनदेन की बातचीत होने का दावा किया गया। इसके अलावा सीतापुर में विधायक द्वारा राजस्व अधिकारी से कथित मारपीट तथा भिठ्ठीकला में एक विधवा महिला के साथ जमीन खरीद में कथित धोखाधड़ी जैसे मामलों में भी भाजपा से जुड़े लोगों के नाम सामने आए हैं। कांग्रेस का

कहना है कि इन मामलों में महीनों बीत जाने के बावजूद पुलिस द्वारा प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। कांग्रेस नेताओं ने बताया कि इन मामलों को लेकर थाने से लेकर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों तक कई बार ज्ञापन सौंपे गए। 6 जुलाई को न्याय रैली निकालकर आईजी को साक्ष्यों सहित लिखित शिकायत भी दी गई थी, लेकिन दो सप्ताह बाद भी ठोस कार्रवाई की जानकारी नहीं मिलने पर प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को पुनः मुलाकात की। कांग्रेस के अनुसार, आईजी दीपक झा ने प्रतिनिधिमंडल को अब तक हुई कार्रवाई की जानकारी देते हुए आश्वस्त किया कि इन मामलों में जल्द परिणाम सामने आएंगे और दोबारा इस मांग को लेकर आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जिलाध्यक्ष बालकृष्ण पाठक ने कहा कि यदि कार्रवाई संतोषजनक नहीं हुई तो कांग्रेस भाजपा के मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान काला झंडा दिखाकर विरोध दर्ज कराएगी। प्रतिनिधिमंडल में निगम के नेता प्रतिपक्ष शफी अहमद, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष हेमंत सिन्हा,संजय विश्वकर्मा, विनीत विशाल जायसवाल,पापिंदर सिंह तथा शुभम जायसवाल शामिल रहे।

पुटू बीनने गए वृद्ध पर हाथी का हमला,जबड़ा टूटा,पत्नी भी घायल

मालूमाड़ा के जंगल में हुआ हादसा, गंभीर घायल को मेडिकल कॉलेज अस्पताल किया गया रेफर

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,20 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।
सरगुजा जिले के उदयपुर वन परिक्षेत्र के भालूमाड़ा जंगल में सोमवार सुबह पुटू (खुखड़ी) बीनने गए वृद्ध दंपती पर हाथी ने हमला कर दिया। हाथी के हमले में 55 वर्षीय वृद्ध गंभीर रूप से घायल हो गया और उसका जबड़ा टूट गया,जबकि जान बचाने के लिए भाग रही उसकी पत्नी गिरकर घायल हो गई। दोनों को उपचार के लिए उदयपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया,जहां प्राथमिक उपचार के बाद वृद्ध को मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार उदयपुर थाना क्षेत्र के ग्राम सायर निवासी बिहानू (55) अपनी पत्नी संपत के साथ सोमवार सुबह करीब 7 बजे गांव से लगे भालूमाड़ा के जंगल में पुटू-खुखड़ी बीनने गए थे। इसी दौरान जंगल में उनका सामना हाथी से हो गया। हाथी को सामने देखकर दोनों अलग-अलग दिशा में भागने लगे,लेकिन हाथी ने बिहानू का पीछा कर उस पर हमला कर दिया। हमले में उसका जबड़ा टूट गया और शरीर के अन्य हिस्सों में भी गंभीर चोटें आईं। इधर, हाथी से बचने के लिए भाग रही संपत घबराहट में गिर गई, जिससे वह भी घायल हो गई। उसकी चीख-पुकार सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे। हाथी के जंगल की ओर लौटने के बाद ग्रामीणों ने दोनों को सुरक्षित बाहर निकाला और उदयपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। यहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद बिहानू की गंभीर स्थिति को देखते हुए मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर रेफर कर दिया,जबकि उसकी पत्नी का इलाज उदयपुर अस्पताल में किया गया। इन दिनों जंगलों में निकलने वाली पुटू-खुखड़ी की अच्छी कीमत मिलने से बड़ी संख्या में ग्रामीण सुबह-शाम जंगलों का रुख कर रहे हैं। वन विभाग ने हाथियों की सक्रियता वाले क्षेत्रों में बिना जानकारी जंगल नहीं जाने और सतर्कता बरतने की अपील की है।

स्कूल जा रहे शिक्षक की चचेरे भाइयों ने की निर्मम हत्या जमीन विवाद में चाकू व हथौड़े से उतारा मौत के घाट

राधानगर में दिनदहाड़े वारदात,हत्या के बाद परिजनों का फूटा गुस्सा,आरोपी के घर में लगाई आग

-संवाददाता-
रामानुजगंज,20 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।
बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के त्रिकुंडा थाना क्षेत्र के ग्राम राधानगर में सोमवार सुबह जमीन विवाद ने खूनी रूप ले लिया। स्कूल जा रहे एक शिक्षक की उसके दो चचेरे भाइयों ने रास्ता रोककर चाकू और हथौड़े से हमला कर निर्मम हत्या कर दी। वारदात के बाद गांव में तनाव फैल गया। घटना से आक्रोशित मृतक के परिजनों ने आरोपियों के घर में आग लगा दी। सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंची तथा स्थिति को नियंत्रित किया। फिलहाल गांव में पुलिस बल तैनात

है। पुलिस के अनुसार राधानगर निवासी शिक्षक जयकरन जगते (50) सोमवार सुबह करीब 9.30 बजे बाइक से स्कूल जा रहे थे। घर से लगभग आधा किलोमीटर दूर पहले से घात लगाकर बैठे उनके चचेरे भाई बृजमोहन (25) और हरिमोहन (24) ने उनका रास्ता रोक लिया। आरोप है कि दोनों ने पहले हथौड़े से सिर पर ताबड़तोड़ वार किए, फिर चाकू से गला रेत दिया। गंभीर चोटों के कारण शिक्षक की मौके पर ही मौत हो गई। दिनदहाड़े हुई इस घटना से गांव में सनसनी फैल गई। सूचना पर त्रिकुंडा थाना पुलिस मौके पर पहुंची,घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दोनों परिवारों के बीच लंबे समय से जमीन के बंटवारे और सीमांकन को लेकर विवाद चल रहा था। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि बंटवारे के बावजूद जमीन जोतने और सीमांकन कराने को लेकर लगातार विवाद हो रहा था। इसी रंजिश में उन्होंने वारदात को अंजाम दिया। इधर शिक्षक की हत्या की खबर मिलते ही परिजनों और ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया। गुस्साए लोगों ने आरोपी पक्ष के घर में आग लगा दी। आगजनी की सूचना पर पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। घटना के बाद गांव में तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। त्रिकुंडा थाना प्रभारी व्यास नारायण चुरेन्द्र ने बताया कि प्रथम दृष्टया हत्या का कारण जमीन विवाद प्रतीत हो रहा है। दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। हत्या का मामला दर्ज कर सभी पहलुओं की गहन जांच की जा रही है।

75 साल पुरानी वन भूमि पर कब्जे का खेल!

खोजी खबर के 14 दिन बाद एसडीएम ने लगाई खरीद-फरोख्त पर रोक

अब उठे बड़े सवाल, क्या बदले गए रिकॉर्ड ? किसने कराए करोड़ों के सौदे ?

भट्टीपारा वन विभाग आवासीय कॉलोनी, बैकुंठपुर

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा0)
बैकुंठपुर, जिला–कोरिया (छ:ग.)

पु/क 4257/नाप/क/2026 — बैकुंठपुर, दिनांक 07.07.2026

प्रति,
तहसीलदार,
बैकुंठपुर जिला–कोरिया (छ.ग.)

विषय – भूमि क्रय–विक्रय पर रोक लगाये बाबत् ।

–00–

पहले फरिस्ते रेंजर बंगला
(तकरीबन वर्ष 2015 की)

पुराने स्टाफ क्वार्टर
(तकरीबन वर्ष 2015 की)

7 बड़े सवाल जिनके जवाब जरूरी !

1. भूमि का असली रिकॉर्ड क्या कहता है?
2. रिकॉर्ड किसने और कब बदला?
3. कथित सौंदों में कौन-कौन शामिल?
4. वन विभाग ने पहले क्या कार्रवाई की?
5. निर्माण और कब्जे की अनुमति किसने दी?
6. स्टेट रिकॉर्ड और जमीन हकीकत में अंतर क्यों?
7. जिम्मेदार अधिकारियों पर होगी कार्रवाई या नहीं?

ग्रामीणों और वन विभाग ने की उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच की मांग

पहले सौदा, फिर रोक! 75 साल पुरानी वन भूमि पर प्रशासन की देर से जागी नींद...अब कई सवालों के जवाब बाकी....

खोजी खबर का असर? 75 साल पुरानी वन भूमि के क्रय-विक्रय पर लगी रोक,अब होगी बड़े खेल की जांच?

- वन भूमि पर करोड़ों के सौदों की चर्चा के बीच प्रशासन हरकत में...एसडीएम ने लगाई खरीद-बिक्री पर रोक
- वन विभाग की कॉलोनी से कथित सौदों तक...14 दिन में बदल गई तस्वीर,अब जांच के घेरे में पूरा मामला
- सरकारी वन भूमि पर सौदों का विवाद गहराया, एसडीएम के आदेश के बाद प्रशासनिक भूमिका पर फिर सवाल
- वन भूमि पर रोक का आदेश,लेकिन सवाल बरकरार–रिकॉर्ड बदला किसने और सौदे हुए कैसे?
- भट्टीपारा वन भूमि प्रकरण में खरीद-बिक्री पर रोक, अब रिकॉर्ड, कब्जे और जिम्मेदारों की होगी पड़ताल?
- वन भूमि पर कथित सौदों मामले में एसडीएम की रोक के बाद अब निष्पक्ष जांच की मांग तेज

दैनिक घटती-घटना ने उठाए थे वन भूमि,स्टेट रिकॉर्ड और कथित सौदों पर सवाल,एसडीएम ने विवादित भूमि के क्रय-विक्रय पर लगाई रोक, अब निष्पक्ष जांच की मांग तेज

-रवि सिंह-

कोरिया/बैकुंठपुर,20 जुलाई 2026 (घटती-घटना)। सरकारी भूमि, विशेषकर वन विभाग की भूमि,केवल राजस्व का विषय नहीं होती बल्कि यह सार्वजनिक संपत्ति होती है, जिसकी सुरक्षा और संरक्षण राज्य की जिम्मेदारी होती है,लेकिन जब ऐसी भूमि को लेकर रिकॉर्ड, कब्जा,निर्माण और कथित खरीद-बिक्री जैसे सवाल सामने आने लगें,तब मामला केवल जमीन का नहीं रह जाता,बल्कि प्रशासनिक जवाबदेही, सरकारी अभिलेखों की विश्वसनीयता और कानून के पालन का विषय बन जाता है। कोरिया जिले के बैकुंठपुर स्थित भट्टीपारा वन विभाग आवासीय कॉलोनी से जुड़ा मामला अब इसी मोड़ पर पहुंच गया है, लगभग दो सप्ताह पहले इस विषय पर प्रकाशित खोजी समाचार में कई सवाल उठाए गए थे, इसके बाद 07 जुलाई 2026 को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बैकुंठपुर ने संबंधित भूमि के क्रय-विक्रय पर रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया। यह घटनाक्रम पूरे मामले को और अधिक गंभीर बना रहा है, हालांकि यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि क्रय-विक्रय पर रोक लगाने का आदेश स्वयं किसी भी आरोप को सिद्ध नहीं करता,बल्कि यह दर्शाता है कि प्रशासन ने भूमि को विवादित मानते हुए आगे के लेनदेन पर रोक लगाने का निर्णय लिया है।

23 जून को उठे थे कई सवाल– 23 जून को प्रकाशित खोजी रिपोर्ट में दावा किया गया था कि लगभग 75 वर्ष पुरानी वन विभाग की भूमि और वन विभाग की आवासीय कॉलोनी से जुड़े रिकॉर्ड में गंभीर प्रश्न खड़े हो रहे हैं, रिपोर्ट में यह भी सवाल उठाया गया था कि यदि भूमि सरकारी रिकॉर्ड में वन विभाग की है,तो निजी सौदों की चर्चा कैसे हो रही है तथा कथित रूप से करोड़ों रुपये के लेन-देन की बातें क्यों सामने आ रही हैं,रिपोर्ट में प्रशासनिक अधिकारियों,वन विभाग तथा राजस्व अभिलेखों की भूमिका पर भी कई प्रश्न उठाए गए थे और पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच की मांग की गई थी।

14 दिन बाद आया प्रशासनिक आदेश– अब सामने आए एसडीएम कार्यालय के आदेश से पता चलता है कि वनमंडलाधिकारी,कोरिया वन मंडल द्वारा भेजे गए पत्र के आधार पर मामले का परीक्षण किया गया,आदेश में उल्लेख है कि संबंधित भूमि वन विभाग की आवासीय कॉलोनी से जुड़ी है तथा इस संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी,दस्तावेज़ में कथित रूप से कूटरचित तरीके से भूमि विक्रय किए जाने का भी उल्लेख है, इन तथ्यों को देखते हुए एसडीएम ने संबंधित भूमि के क्रय-विक्रय पर रोक लगाने का आदेश जारी किया तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए तहसीलदार को निर्देशित किया, यह आदेश यह संकेत अवश्य देता है कि प्रशासन ने मामले को गंभीर मानते हुए तत्काल एहतियाती कदम उठाया।

वन विभाग की शिकायत क्या कहती है?– एसडीएम के आदेश से यह स्पष्ट है कि कार्रवाई की शुरुआत वन विभाग के पत्र के आधार पर हुई, इससे यह प्रश्न भी उठता है कि यदि वन विभाग को पहले से विवाद की जानकारी थी, तो उसने प्रारंभिक स्तर पर क्या कार्रवाई की? क्या पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई? क्या राजस्व विभाग को पहले भी पत्राचार किया गया था? यदि किया गया, तो उन पर क्या कार्रवाई हुई?

सबसे बड़ा सवाल,यदि भूमि सरकारी थी तो सौदे कैसे हुए?

अब इस पूरे मामले का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही बन गया है यदि संबंधित भूमि वन विभाग की आवासीय कॉलोनी का हिस्सा थी,तो उसके संबंध में निजी खरीद-बिक्री की स्थिति कैसे बनी? यदि किसी प्रकार का विक्रय हुआ,तो क्या संबंधित प्रक्रिया वैधानिक थी? यदि नहीं,तो संबंधित अभिलेख किस आधार पर तैयार हुए? इन प्रश्नों का उत्तर केवल दस्तावेज़ों की विस्तृत जांच से ही सामने आ सकता है।

क्या बदले गए रिकॉर्ड?

खोजी रिपोर्ट में यह भी प्रश्न उठाया गया था कि क्या किसी स्तर पर रिकॉर्ड में परिवर्तन किया गया था, यदि ऐसा हुआ, तो परिवर्तन किस अधिकारी के आदेश पर हुआ? किस वर्ष हुआ? क्या उसके लिए सक्षम प्राधिकारी की अनुमति थी? क्या संबंधित विभागों की सहमति प्राप्त की गई थी? इन सभी बिंदुओं की जांच आवश्यक मानी जा रही है।

क्रय-विक्रय पर रोक–अस्थायी राहत या जांच की शुरुआत?

भूमि पर खरीद-बिक्री रोक देने से फिलहाल नए सौदे रुक जाएंगे,लेकिन केवल रोक लगा देना पर्याप्त नहीं माना जा सकता,अब आवश्यकता इस बात की है कि यह भी स्पष्ट किया जाए भूमि का वास्तविक स्वामित्व क्या है? वर्तमान कब्जा किसके पास है? यदि निर्माण हुए हैं,तो किस अनुमति से हुए? यदि विक्रय दस्तावेज बने हैं, तो उनकी वैधानिक स्थिति क्या है?

सिर्फ रोक नहीं, जिम्मेदारी भी तय हो...

यदि जांच में यह सामने आता है कि किसी सरकारी भूमि का रिकॉर्ड बदलकर अथवा अन्य तरीके से निजी लेन-देन हुआ,तो यह केवल भूमि विवाद नहीं रहेगा, ऐसी स्थिति में यह भी तय करना होगा कि किस अधिकारी की भूमिका क्या थी? रिकॉर्ड तैयार करने वाला कौन था? सत्यापन किसने किया? पंजीयन के समय किन दस्तावेजों के आधार पर प्रक्रिया पूरी हुई? यदि किसी स्तर पर लापरवाही या अनियमितता हुई है, तो संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की जानी चाहिए।

सात बड़े सवाल जिनके जवाब जरूरी,इस पूरे घटनाक्रम के बाद अब कई महत्वपूर्ण प्रश्न सामने हैं...

1. संबंधित भूमि का मूल रिकॉर्ड क्या कहता है?
2. क्या भूमि आज भी वन विभाग के स्वामित्व में दर्ज है?
3. कथित विक्रय किन दस्तावेजों के आधार पर हुआ?
4. यदि रिकॉर्ड बदला गया,तो किसके आदेश से?
5. वन विभाग ने पहली बार शिकायत कब दर्ज कराई?
6. राजस्व विभाग ने उस समय क्या कार्रवाई की?
7. क्या पूरे मामले की स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराई जाएगी?

जांच निष्पक्ष हो...तभी दूर होंगे संदेह...

भूमि विवादों में अक्सर वर्षों तक मुकदमे चलते रहते हैं, लेकिन जब मामला सरकारी भूमि और सरकारी अभिलेखों से जुड़ा हो, तब जांच केवल औपचारिक नहीं होनी चाहिए, विशेषज्ञों का मानना है कि इस मामले में राजस्व रिकॉर्ड, वन विभाग के रिकॉर्ड, पंजीयन अभिलेख, सीमांकन, कब्जे की स्थिति, निर्माण की अनुमति, और सभी संबंधित दस्तावेजों का संयुक्त परीक्षण किया जाना चाहिए।

प्रशासन के सामने अवसर भी और चुनौती भी...

एसडीएम द्वारा खरीद-बिक्री पर रोक लगाने का आदेश यह दर्शाता है कि प्रशासन ने प्रथम दृष्टया मामले को गंभीर माना है,अब अगला चरण सबसे महत्वपूर्ण है,यदि निष्पक्ष जांच कर वास्तविक स्थिति सार्वजनिक की जाती है, तो इससे सरकारी भूमि की सुरक्षा को लेकर लोगों का विश्वास मजबूत होगा, लेकिन यदि जांच अधूरी रह गई या केवल औपचारिक कार्रवाई तक सीमित रही, तो विवाद और गहरा सकता है।

अब निगाहें जांच पर...

भट्टीपारा वन भूमि प्रकरण अब केवल एक स्थानीय भूमि विवाद नहीं रह गया है, यह मामला सरकारी संपत्ति की सुरक्षा,प्रशासनिक जवाबदेही और सार्वजनिक अभिलेखों की विश्वसनीयता से जुड़ चुका है,क्रय-विक्रय पर रोक लगाने का आदेश पहला महत्वपूर्ण प्रशासनिक कदम है,लेकिन असली परीक्षा अब निष्पक्ष और व्यापक जांच की होगी,यदि जांच में सभी दस्तावेजों,संबंधित विभागों और संभावित जिम्मेदार पक्षों की भूमिका स्पष्ट की जाती है, तभी यह तय हो सकेगा कि यह केवल रिकॉर्ड संबंधी विवाद था या वास्तव में सरकारी भूमि से जुड़ी कोई गंभीर अनियमितता हुई थी।

20 लीटर महुआ शराब के साथ आरोपी गिरफ्तार,आबकारी एक्ट में भेजा गया जेल

-संवाददाता-

बलरामपुर,20 जुलाई 2026 (घटती-घटना)। बलरामपुर जिले की तातापानी पुलिस चौकी ने अवैध महुआ शराब के कारोबार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए ग्राम चंद्रनगर निवासी एक आरोपी को 20 लीटर हाथ भट्ठी से निर्मित महुआ शराब के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत मामला दर्ज कर उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार 19 जुलाई 2026 को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम चंद्रनगर निवासी धनपत सिंह (44 वर्ष), पिता रामशरण सिंह अपने घर में अवैध हाथ भट्ठी से तैयार महुआ शराब बिक्री के उद्देश्य से बड़ी मात्रा में संग्रहित किए हुए है। सूचना के आधार पर चौकी प्रभारी तातापानी उप निरीक्षक उमेश सिंह ने पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचकर विधिवत रेड कार्रवाई की। तलाशी के दौरान आरोपी के घर से 20 लीटर अवैध हाथ भट्ठी से बनी महुआ शराब बरामद हुई,जिसे पुलिस ने गवाहों की उपस्थिति में जब्त कर लिया। मामले में आरोपी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत अपराध दर्ज कर विधिवत गिरफ्तार किया गया। सोमवार 20 जुलाई 2026 को आरोपी को न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।

झारखंड से दबोचे गए दो फरार मवेशी तस्कर,सामरीपाठ पुलिस की बड़ी कार्रवाई

-संवाददाता-

सामरी/बलरामपुर,20 जुलाई 2026 (घटती-घटना)। बलरामपुर जिले की सामरीपाठ पुलिस ने मवेशी तस्करी के मामले में फरार चल रहे दो आरोपियों को झारखंड से गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम-2004 की धारा 4, 6, 10, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम-1960 की धारा 11(1)(घ) तथा मोटर व्हीकल एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस के अनुसार 11 जुलाई 2026 की रात गश्त के दौरान मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुसमी की ओर से एक सफेद पिकअप वाहन में मवेशियों को भरकर सामरीपाठ लाया जा रहा है,जबकि आगे-आगे एक आर्टिगा कार रैकी कर रही है। सूचना पर ग्राम केरापाठ मुख्य मार्ग पर नाकाबंदी की गई। नाकाबंदी के दौरान पुलिस को देखकर आर्टिगा कार चालक यू-टर्न लेकर भागने लगा। वहीं पीछे आ रही पिकअप का चालक वाहन को केरापाठ

तालाब के पास छोड़कर जंगल की ओर फरार हो गया। पुलिस ने पिकअप की तलाशी लेने पर उसमें 5 भैंस और 1 पाड़ी को अमानवीय तरीके से ठूंस-ठूंसकर भरा हुआ पाया। मौके से मवेशियों से भरी पिकअप और आर्टिगा कार क्रमांक छ्व॥-01श्वस्-7168 को जब्त कर लिया गया। मामले में थाना सामरीपाठ में अपराध क्रमांक 27/2026 दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। जांच के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि फरार आरोपी झारखंड के बरगढ़ थाना क्षेत्र में छिपे हुए हैं। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर गठित पुलिस टीम ने सोमवार को झारखंड पहुंचकर दबिश दी और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपियों ने अपराध स्वीकार कर लिया,जिसके बाद उन्हें न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक विजय प्रताप सिंह,उपनिरीक्षक आनंद मसीह तिर्की, कल्याण सिंह,आरक्षक अजय कुमार तथा अनिल कुमार साहू की सराहनीय भूमिका रही।

अंबिकापुर को मिली आधुनिक स्वास्थ्य सुविधा की सौगात,पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने किया सोनोग्राफी सेंटर का शुभारंभ

-संवाददाता-

अम्बिकापुर,20 जुलाई 2026 (घटती-घटना)। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने सोमवार को अंबिकापुर स्थित एक निजी संस्थान के नवीन सोनोग्राफी सेंटर का विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने केंद्र से जुड़े सभी चिकित्सकों,प्रबंधन एवं कर्मचारियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि यह केंद्र क्षेत्रवासियों को आधुनिक, सुलभ एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य जांच सुविधाएं उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए राजेश अग्रवाल ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं का सुदृढ़ होना किसी भी समाज के समग्र विकास का महत्वपूर्ण आधार है। आधुनिक तकनीकों से युक्त जांच सुविधाएं समय पर रोगों की पहचान और

प्रभावी उपचार में अत्यंत सहायक सिद्ध होती हैं। उन्होंने कहा कि अंबिकापुर में इस आधुनिक सोनोग्राफी केंद्र के प्रारंभ होने से लोगों को बेहतर स्वास्थ्य जांच के लिए दूर-दराज के शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा,जिससे समय और धन दोनों की बचत होगी। मंत्री अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश सरकार का उद्देश्य आम नागरिकों को उनके निकट ही गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। सरकारी प्रयासों के साथ-साथ निजी क्षेत्र की सकारात्मक भागीदारी भी स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान देती है।

CMYK

30 ह्यूम पाइप पड़े कम या निर्माण में चूक?

15 लाख का रपटा 15 दिन में ध्वस्त!

- नदी का पाट चौड़ा है, 30 की जगह 40 ह्यूम पाइप लगाते तो पानी का निकास बेहतर होता!
- दूसरे साइड से लाए गए पाइप, लागत बचाने का आरोप!
- 15 लाख के काम को लगता है 5 लाख में ही कर दिया गया!
- काम लगा एट बनाने के चक्कर में आज फिर आवागमन प्रभावित!

गांवों की बड़ी परेशानी, प्रशासन से स्थायी समाधान की अपील | जांच की मांग तेज – जिम्मेदार कौन?

30 ह्यूम पाइप पड़े कम? पहली बारिश में बहा 15 लाख का रपटा,अब डिजाइन और गुणवत्ता दोनों सवालों के घेरे में...

15 लाख का रपटा पहली बारिश में बहा,अब उठा सवाल-क्या पानी के निकास का सही आकलन हुआ था?

क्या 10 ह्यूम पाइपों की कमी ले डूबी 15 लाख का रपटा?

गोबरी नदी का बहाव भारी या डिजाइन में चूक? 15 लाख का रपटा पहली बारिश में ध्वस्त

गोबरी नदी के चौड़े पाट पर छोटा पड़ा रपटा, पहली ही बारिश में टूटी वैकल्पिक व्यवस्था

पहली बारिश में ध्वस्त हुआ रपटा,अब सवाल-क्या पानी के निकास की क्षमता कम रखी गई थी?

नदी का बहाव नहीं झेल पाया रपटा,क्या निर्माण में पर्याप्त ह्यूम पाइप नहीं लगाए गए?

ग्रामीणों का दावा गोबरी नदी के चौड़े पाट पर अधिक ह्यूम पाइप लगाए जाते तो पानी का निकास बेहतर होता, तकनीकी जांच से ही स्पष्ट होगी वास्तविक वजह

-ओंकार पांडेय-

सूरजपुर,20 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

सूरजपुर जिले के भैयाथान विकासखंड के ग्राम डबरीपारा-खुटरापारा में गोबरी नदी पर लगभग 15 लाख रुपये की लागत से निर्मित वैकल्पिक रपटा पुल पहली ही तेज बारिश में बह जाने के बाद पूरे क्षेत्र में आक्रोश और चिंता का माहौल है,यह केवल एक निर्माण कार्य के क्षतिग्रस्त होने की घटना नहीं है,बल्कि एक वर्ष से अधिक समय से वैकल्पिक व्यवस्था का इंतजार कर रहे हजारों ग्रामीणों की उम्मीदों के टूटने की कहानी भी है।

करीब एक वर्ष पहले गोबरी नदी पर बना मुख्य पुल टूट गया था,इसके बाद क्षेत्र के लोग स्थायी पुल निर्माण की मांग करते रहे, लंबे इंतजार के बाद विभाग ने वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में रपटा का निर्माण कराया। लेकिन ग्रामीणों के अनुसार रपटा तैयार होने के लगभग पंद्रह दिन बाद ही हुई लगातार बारिश में यह बह गया और एक बार फिर 12 से अधिक गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया,अब इस पूरे मामले में निर्माण गुणवत्ता,तकनीकी निगरानी, विभागीय जवाबदेही और सार्वजनिक धन के उपयोग को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं, ग्रामीणों ने पूरे मामले की उच्च स्तरीय तकनीकी जांच कर दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग की है।

क्या ह्यूम पाइप कम पड़ गए?- स्थानीय ग्रामीणों और कुछ जानकारों का कहना है कि गोबरी नदी का पाट काफी चौड़ा है और बरसात के समय इसमें पानी का दबाव अत्यधिक रहता है, उनका दावा है कि यदि रपटा निर्माण में 30 ह्यूम पाइपों के स्थान पर लगभग 40 ह्यूम पाइप लगाए गए होते, तो पानी के निकास के लिए अधिक स्थान मिलता और तेज बहाव का दबाव कम पड़ता, उनका मानना है कि पानी का पर्याप्त निकास नहीं होने से बहाव का दबाव सीधे रपटा पर पड़ा, जिससे उसका अंतिम हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि निर्माण के दौरान लागत कम करने के उद्देश्य से पर्याप्त संख्या में ह्यूम पाइप नहीं लगाए गए,हालांकि इस दावे की पुष्टि संबंधित विभाग की तकनीकी जांच के बाद ही हो सकेगी, यदि जांच में यह तथ्य सही पाए जाते हैं,तो यह निर्माण की डिजाइन,गुणवत्ता और तकनीकी स्वीकृति से जुड़े गंभीर सवाल खड़े करेगा।

एक वर्ष तक इंतजार, फिर मिली अस्थायी व्यवस्था-30 जून 2025 को गोबरी नदी पर बना मुख्य पुल अचानक धराशायी हो गया था,यह पुल राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-43 से सूरजपुर और कोरिया जिले के कई गांवों को जोड़ने वाला प्रमुख संपर्क मार्ग था। पुल टूटते ही हजारों लोगों का आवागमन प्रभावित हो गया,किसान,विद्यार्थी,व्यापारी और मरीज सभी को लंबा वैकल्पिक मार्ग अपनाना पड़ा,उस समय प्रशासन ने स्थायी पुल निर्माण का आश्वासन दिया था,हालांकि बरसात, तकनीकी स्वीकृतियों और अन्य प्रक्रियाओं के बीच एक वर्ष बीत गया और नया पुल शुरू नहीं हो सका। अंततः लोगों की परेशानी कम करने के लिए लगभग 15 लाख रुपये की लागत से रपटा का निर्माण कराया गया, ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें उम्मीद थी कि कम से कम इस बरसात में आवागमन सामान्य रहेगा, लेकिन पहली ही तेज बारिश ने उस उम्मीद को भी बहा दिया।

पहली ही बारिश में ध्वस्त हुई वैकल्पिक व्यवस्था-लगातार हुई बारिश के बाद गोबरी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा, तेज बहाव के बीच रपटा पुल क्षतिग्रस्त हो गया और बाद में बह गया,इसके साथ ही फिर से क्षेत्र के गांवों का संपर्क टूट गया,ग्रामीणों का कहना है कि जिस संरचना को बरसात के दौरान राहत देने के उद्देश्य से बनाया गया था,वह पहली ही बड़ी परीक्षा में असफल साबित हुई।

'दैनिक घटती-घटना' ने पहले ही जताई थी आशंका- रपटा निर्माण पूरा होने के बाद दैनिक घटती-घटना ने अपने समाचार में यह प्रश्न कई बार उठाया था कि गोबरी नदी के तेज बहाव को देखते हुए इस वैकल्पिक व्यवस्था की वास्तविक परीक्षा पहली ही बरसात में होगी,समाचार में यह भी उल्लेख किया गया था कि नदी का जलग्रहण क्षेत्र पहाड़ी है, जहां बारिश के समय तेज प्रवाह आता है,ऐसे में निर्माण की गुणवत्ता सबसे महत्वपूर्ण होगी,अब रपटा बहने के बाद ग्रामीणों का कहना है कि अखबार द्वारा उठाए गए सवाल निराधार नहीं थे।

घटती-घटना | सरगुजा,सूरजपुर कोरिया समाचार | अम्बिकापुर सोमवार 20 जुलाई 2026 | 4

15 लाख का रपटा तीन दिन की बारिश में बहा!

दैनिक घटती-घटना की आशंका निकली सही, रपटा के साथ विभाग की 'नाक' भी बह गई

गोबरी नदी का बहाव तेज, विभाग की तैयारी फेल!

गोबरी नदी ने ले ली पहली परीक्षा,15 लाख का रपटा हुआ फेल

'दैनिक घटती-घटना' की चेतावनी साबित हुई सही,पहली ही बरसात में खुल गई निर्माण गुणवत्ता की पोल

'दैनिक घटती-घटना' ने 7 जुलाई को ही जताई थी आशंका और 18 जुलाई की रात बह गया 15 लाख का रपटा

निरीक्षण हुए,लेकिन क्या गुणवत्ता भी देखी गई?- पिछले एक वर्ष के दौरान इस स्थल का कई बार निरीक्षण हुआ,स्थानीय विधायक एवं कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, उनके प्रतिनिधि,स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियों ने समय-समय पर स्थल का दौरा किया,ग्रामीणों का आरोप है कि निरीक्षण अधिक हुए,लेकिन निर्माण गुणवत्ता पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया,उनका कहना है कि यदि निर्माण के दौरान तकनीकी निगरानी प्रभावी होती,तो शायद आज यह स्थिति नहीं बनती, हालांकि इस संबंध में संबंधित विभाग और जनप्रतिनिधियों की आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आना अभी शेष है।

जांच में पुराने पाइप मिलने का दावा- रपटा बहने के बाद तहसीलदार और नायब तहसीलदार द्वारा मौके का निरीक्षण किए जाने की जानकारी सामने आई है,स्थानीय ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों का दावा है कि निरीक्षण के दौरान तैयार पंचनामा में यह उल्लेख किया गया कि रपटा में लगाए गए 30 ह्यूम पाइपों में से अधिकांश पुराने थे,यदि जांच में यह तथ्य आधिकारिक रूप से प्रमाणित होते हैं, तो निर्माण सामग्री के चयन और गुणवत्ता नियंत्रण पर गंभीर प्रश्न खड़े होंगे,हालांकि इस संबंध में अंतिम तकनीकी जांच रिपोर्ट अभी सार्वजनिक नहीं हुई है।

बारह से अधिक गांव फिर अलग-थलग-रपटा बहने के बाद खुटरापारा, डबरीपारा,गंगौटी,शिवप्रसादनगर,सोनपुर, करौंदामुंडा,टेंगनी,बिलारो, बंजा,बड़सरा,केवरा, कुसमूसी,बस्कर और पंडोपारा सहित अनेक गांव प्रभावित हुए हैं,ग्रामीणों के अनुसार सबसे अधिक परेशानी विद्यार्थियों,मरीजों,किसानों और दैनिक आवागमन करने वालों को हो रही है, बरसात के मौसम में यह स्थिति और गंभीर हो सकती है।

ग्रामीणों की प्रमुख मांगें-आक्रोशित ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि है पूरे निर्माण कार्य की स्वतंत्र तकनीकी जांच कराई जाए,यदि किसी प्रकार की अनियमितता या लापरवाही पाई जाती है तो जिम्मेदार अधिकारियों एवं संबंधित एजेंसी के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए, सार्वजनिक धन के उपयोग की जवाबदेही तय की जाए,प्रभावित गांवों के लिए तत्काल सुरक्षित वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराया जाए,स्थायी पुल निर्माण कार्य को प्राथमिकता देकर शीघ्र शुरू किया जाए।

सबसे बड़ा सवाल—जिम्मेदार कौन? यह घटना कई महत्वपूर्ण प्रश्न छोड़ गई है...

- यदि रपटा तकनीकी मानकों के अनुरूप बनाया गया था तो वह पहली ही तेज बारिश में क्यों बह गया?
- यदि निर्माण सामग्री को लेकर उठ रहे आरोप सही हैं तो जिम्मेदारी किसकी होगी?
- यदि बार-बार निरीक्षण हुए तो गुणवत्ता संबंधी कमियां पहले क्यों नहीं पकड़ी गईं?
- क्या इस पूरे मामले में विभागीय जांच होगी?
- क्या तकनीकी विशेषज्ञों की स्वतंत्र टीम इसकी समीक्षा करेगी?

स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने लगाए गंभीर आरोप

जनपद सदस्य राजू कुमार गुप्ता सहित अन्य स्थानीय प्रतिनिधियों का आरोप है कि निर्माण में पुराने पाइपों का उपयोग किया गया,उनका कहना है कि यदि यह आरोप सही सिद्ध होते हैं तो पूरे निर्माण कार्य की स्वतंत्र तकनीकी जांच आवश्यक है, इन आरोपों पर संबंधित विभाग की ओर से अभी तक कोई विस्तृत सार्वजनिक स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं है।

तकनीकी दस्तावेजों को लेकर भी उठे सवाल

ग्रामीणों का कहना है कि निर्माण के दौरान हुए एक निरीक्षण में उप अभियंता के पास स्वीकृत एस्टीमेट और तकनीकी ड्राइंग उपलब्ध नहीं थी,यदि जांच में यह तथ्य सही पाए जाते हैं,तो परियोजना के तकनीकी संचालन और निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो सकते हैं।

चंदा आंदोलन से लेकर रपटा बहने तक...

इस पूरे मार्ग का संघर्ष केवल पुल तक सीमित नहीं रहा, रपटा बनने के बाद एप्रोच रोड अधूरी छोड़ दिए जाने से पहली बारिश में पूरा रास्ता दलदल में बदल गया था,तब ग्रामीणों ने स्वयं चंदा एकत्र कर सड़क निर्माण की पहल शुरू की, इस अभियान की व्यापक चर्चा हुई,जिसके बाद विभाग ने सड़क पर डब्ल्यूएमएम का कार्य कराया,लेकिन अब रपटा बहने के बाद लोगों का कहना है कि पूरी मेहनत और उम्मीद पर फिर पानी फिर गया।

विभाग का पक्ष भी महत्वपूर्ण

इस पूरे मामले में संबंधित विभाग का पक्ष भी महत्वपूर्ण होगा,जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि रपटा बहने का कारण केवल असामान्य जलप्रवाह था, निर्माण संबंधी तकनीकी कमी थी, या दोनों का संयुक्त प्रभाव,इसी प्रकार पुराने ह्यूम पाइपों और अन्य आरोपों की भी पुष्टि आधिकारिक जांच के बाद ही हो सकेगी।

जनहित का मुद्दा, जवाबदेही की प्रतीक्षा

गोबरी नदी पर बहा यह रपटा केवल कंक्रीट और पाइपों का ढांचा नहीं था,बल्कि हजारों ग्रामीणों की रोजमर्रा की जिंदगी का सहारा था,उसके बह जाने से एक बार फिर यह स्पष्ट हो गया है कि सार्वजनिक निर्माण कार्यों में गुणवत्ता,तकनीकी मानकों और नियमित निगरानी से समझौता नहीं किया जा सकता, अब पूरे क्षेत्र की निगाहें प्रशासन और शासन की कार्रवाई पर हैं। ग्रामीणों की मांग है कि मामले की निष्पक्ष जांच हो, यदि किसी स्तर पर लापरवाही या अनियमितता सामने आती है तो जिम्मेदारी तय की जाए, और सबसे महत्वपूर्ण–स्थायी पुल का निर्माण शीघ्र कराया जाए, ताकि हर बरसात में लोगों को इसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।

सलगंवां कला में बिजली संकट पर फूटा ग्रामीणों का गुस्सा...पूरी रात और दिनभर गुल रही बिजली

सरपंच के नेतृत्व में ग्रामीण पहुंचे पावर हाउस,अघोषित कटौती पर जताया विरोध

कोरिया/सोनहत,20 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार बिगड़ती बिजली व्यवस्था और अघोषित बिजली कटौती के खिलाफ आखिरकार ग्रामीणों का आक्रोश सड़क पर दिखाई दिया, ग्राम पंचायत सलगंवां कला के सरपंच के नेतृत्व में बड़ी संख्या में ग्रामीण स्थानीय पावर हाउस पहुंचे और बिजली विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए शीघ्र विद्युत आपूर्ति बहाल करने की मांग की।

ग्रामीणों ने बताया कि पिछली रात से पूरे क्षेत्र की बिजली आपूर्ति पूरी तरह ठप है,रातभर अंधेरे में रहने के बाद भी दिनभर बिजली बहाल नहीं होने से आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया, लोगों को पेयजल, घरेलू कार्यों, मोबाइल चार्जिंग और बच्चों की पढ़ाई जैसी मूलभूत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

रोज-रोज की कटौती से बढ़ रहा आक्रोश- ग्रामीणों का कहना है कि यह समस्या केवल एक दिन की नहीं है, पिछले काफी समय से क्षेत्र में बार-बार और कई-कई घंटों तक बिजली गुल रहने की समस्या बनी हुई है, अघोषित कटौती के कारण लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो रही है और ग्रामीणों में विभाग के प्रति नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है, ग्रामीणों का आरोप है कि विभाग की ओर से न तो समय पर कोई सूचना दी जाती है और न ही समस्या के समाधान के लिए कोई ठोस पहल दिखाई देती है।

बच्चों की पढ़ाई और पेयजल व्यवस्था पर असर- बिजली नहीं रहने से सबसे अधिक परेशानी विद्यार्थियों और ग्रामीण परिवारों को उठानी पड़ रही है,रात भर अंधेरा रहने के कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई, वहीं मोटर पंप नहीं चल पाने से कई घरों में पेयजल की समस्या भी उत्पन्न हो गई। गर्मी और उमस के बीच बिजली गुल रहने से लोगों को रात जागकर बितानी पड़ी।

जनप्रतिनिधियों की चुप्पी पर उठे सवाल- ग्रामीणों ने इस दौरान क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों पर भी नाराजगी जताई, उनका कहना था कि चुनाव के समय बड़े-बड़े वादे करने वाले जनप्रतिनिधि अब बिजली जैसी बुनियादी समस्या पर चुप्पी साधे हुए हैं,ग्रामीणों के अनुसार, अब तक किसी भी जिम्मेदार जनप्रतिनिधि ने मौके पर पहुंचकर समस्या जानने या विभाग से समाधान कराने की पहल नहीं की है,जिससे लोगों में निराशा बढ़ी है।

बिजली विभाग से तत्काल समाधान की मांग-पावर हाउस पहुंचकर सरपंच और ग्रामीणों ने बिजली विभाग के अधिकारियों से मांग की कि क्षेत्र की बिजली आपूर्ति तत्काल बहाल की जाए और बार-बार होने वाली अघोषित कटौती का स्थायी समाधान निकाला जाए,उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार खराब बिजली व्यवस्था के कारण लोगों का धैर्य जवाब देने लगा है और यदि समय रहते सुधार नहीं किया गया तो स्थिति और गंभीर हो सकती है।

आंदोलन तेज करने की चेतावनी- ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र ही बिजली व्यवस्था में सुधार नहीं किया गया और अघोषित कटौती पर रोक नहीं लगी,तो वे व्यापक जन आंदोलन करने को मजबूर होंगे,उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों की जिम्मेदारी संबंधित विभाग और प्रशासन की होगी, ग्रामीणों ने उम्मीद जताई कि बिजली विभाग इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए तत्काल आवश्यक कदम उठाए,ताकि क्षेत्र के लोगों को नियमित और निर्बाध बिजली आपूर्ति मिल सके।

CMYK

17 जुलाई को दैनिक घटती-घटना ने उठाए सवाल

रात होते-होते बह गया वन विभाग का तालाब

- गुणवत्ता पर आशंका,उसी रात बह गया सोनहत वन विभाग का तालाब
- दैनिक घटती-घटना की आशंका सही साबित! खबर छपी...रात में बह गया तालाब

राजन पाण्डेय

सोनहत/कोरिया,20 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

दैनिक घटती-घटना ने 17 जुलाई के अंक में सोनहत वन विभाग द्वारा बनाए जा रहे तालाबों की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठाते हुए आशंका जताई थी कि कमजोर मेड़ और अधूरे निर्माण पहली ही बारिश नहीं झेल पाएंगे,अखबार की यह आशंका कुछ ही घंटों में सही साबित होती नजर आई, 17 जुलाई की रात हुई हल्की बारिश में ही एक तालाब की मेड़ बीच से टूट गई और पानी बह निकला,जिससे जल संरक्षण कार्यों की गुणवत्ता पर गंभीर प्रश्नचिह्न लग गया,अब पूरे मामले में उच्च स्तरीय जांच और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। बता दे की कोरिया जिले के सोनहत वन परिक्षेत्र में जल संरक्षण के नाम पर बनाए गए मिट्टी के तालाबों को लेकर गंभीर सवाल उठने लगे हैं, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों ने आरोप लगाया है कि वन विभाग द्वारा लाखों रुपये खर्च कर बनाए गए कई तालाब पहली ही हल्की बारिश में क्षतिग्रस्त हो गए,उनका दावा है कि कई स्थानों पर तालाबों की मेड़ टूट गई, पर्याप्त गहराई नहीं रखी गई और निर्माण कार्य निर्धारित तकनीकी मानकों के अनुरूप नहीं किया गया, मामले को लेकर स्थानीय स्तर पर जांच की मांग तेज हो गई है, आरोप है कि यदि समय रहते निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो बड़े पैमाने पर जन आंदोलन किया जाएगा।

पहली बारिश में खुल गई निर्माण गुणवत्ता की पोल?- स्थानीय लोगों का कहना है कि वन विभाग ने बारिश शुरू होने से पहले जल्दबाजी में कई मिट्टी के तालाबों का निर्माण कराया, लेकिन जैसे ही हल्की बारिश हुई, कई तालाबों की मेड़ बीच से टूट गई और पानी बह निकला,आरोप है कि यदि हल्की बारिश में ही यह स्थिति है, तो तेज बारिश के दौरान इन संरचनाओं के टिके रहने पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं,ग्रामीणों का कहना है कि कई स्थानों पर तालाबों की खुदाई पर्याप्त गहराई तक नहीं की गई और पानी रोकने के लिए मजबूत मेड़ भी नहीं बनाई गई,उनका आरोप है कि निर्माण कार्य केवल कागजी औपचारिकता पूरी करने के उद्देश्य से किया गया।

मशीनों से काम,मजदूरों को नहीं मिला रोजगार-मामले का एक बड़ा आरोप यह भी है कि जिन कार्यों में स्थानीय मजदूरों को रोजगार मिल सकता था,वहां जेसीबी और अन्य मशीनों का उपयोग किया गया,स्थानीय लोगों का कहना है कि इससे ग्रामीण मजदूरों का रोजगार प्रभावित हुआ, जनप्रतिनिधियों का आरोप है कि यदि मजदूरों से कार्य कराया जाता तो स्थानीय स्तर पर निगरानी भी होती और निर्माण की गुणवत्ता पर भी अधिक जवाबदेही रहती।

15 जून के बाद भी मिट्टी कार्य होने का आरोप- स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि शासन के निर्देशों के अनुसार 15 जून के बाद अधिकांश मिट्टी संबंधी कार्यों पर रोक रहती है, इसके बावजूद सोनहत क्षेत्र में बारिश शुरू होने के बाद भी निर्माण कार्य जारी रहा, इस संबंध में यह सवाल उठाया जा रहा है कि यदि ऐसा हुआ तो इसकी अनुमति किस स्तर पर दी गई और जिम्मेदारी किसकी है।

दैनिक घटती-घटना की आशंका निकली सही, खबर छपने के कुछ घंटों बाद ही टूट गई मेड़-

इस पूरे मामले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह रहा कि दैनिक घटती-घटना ने 17 जुलाई को ही प्रमुखता से समाचार प्रकाशित कर वन विभाग द्वारा बनाए जा रहे तालाबों की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठाए थे, समाचार में आशंका जताई गई थी कि बिना पर्याप्त गहराई, कमजोर मेड़ और जल्दबाजी में कराए गए निर्माण पहली ही बारिश की परीक्षा में टिक नहीं पाएंगे, संयोग ही नहीं बल्कि सवाल खड़ा करने वाला तथ्य यह रहा कि 17 जुलाई की रात हुई हल्की बारिश के बाद ही एक तालाब की मेड़ बीच से टूट गई और पानी बह निकला, इससे समाचार में व्यक्त आशंकाओं को बल मिला और मौके की वास्तविक स्थिति सामने आ गई, स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि पहली ही हल्की बारिश में तालाब टूट गया, तो आने वाले दिनों में तेज और लगातार मानसूनी बारिश के दौरान इन संरचनाओं की स्थिति क्या होगी, इसका सहज अंदाजा लगाया जा सकता है, ग्रामीणों का आरोप है कि यह घटना केवल निर्माण की तकनीकी खामी नहीं, बल्कि सरकारी धन के उपयोग और गुणवत्ता नियंत्रण पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है, अब मांग उठ रही है कि केवल कागजी जांच नहीं बल्कि सभी तालाबों का भौतिक सत्यापन (फिजिकल वेरिफिकेशन) कराया जाए और यह देखा जाए कि स्वीकृत राशि के अनुरूप कार्य वास्तव में हुआ भी है या नहीं।

सूचना बोर्ड नहीं,स्थानीय समिति को भी नहीं दी गई जानकारी-

आरोप यह भी है कि कई निर्माण स्थलों पर योजना से संबंधित कोई सूचना पटल नहीं लगाया गया,स्थानीय वन समिति के पदाधिकारियों को भी कथित तौर पर निर्माण कार्य और स्वीकृत राशि की जानकारी नहीं दी गई,स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि योजना पारदर्शी होती तो स्थल पर योजना का नाम, लागत,स्वीकृत राशि,निर्माण एजेंसी और अवधि का उल्लेख किया जाता।

मुख्य सवाल

- क्या तालाबों का निर्माण निर्धारित तकनीकी मानकों के अनुसार हुआ?
- पहली बारिश में ही मेड़ टूटने की वास्तविक वजह क्या है?
- क्या निर्माण कार्य में मशीनों का उपयोग नियमों के अनुरूप हुआ?
- 15 जून के बाद यदि मिट्टी कार्य हुआ, तो इसकी अनुमति किसने दी?
- क्या निर्माण कार्य का गुणवत्ता परीक्षण कराया गया?
- स्वीकृत राशि और वास्तविक कार्य का मिलान कब होगा?

रेत के ट्रैक्टरों पर कार्रवाई,लेकिन स्टोन क्रेशरों पर कब चलेगी जांच?

कलेक्टर के सख्त निर्देशों के बीच खनिज विभाग की कार्रवाई पर उठा सवाल...स्थानीय लोगों ने लीज खदानों के भौतिक सत्यापन और स्टॉक की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई

राजेन्द्र शर्मा

एमसीबी/खड़गवां,20 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

जिले में अवैध खनिज उत्खनन और परिवहन के खिलाफ कलेक्टर के निर्देश पर खनिज विभाग लगातार कार्रवाई करने का दावा कर रहा है, हाल ही में खड़गवां और मनेन्द्रगढ़ क्षेत्र में विभाग की संयुक्त टीम ने अभियान चलाकर अवैध रूप से रेत और गिट्टी का परिवहन करते पाए गए पांच ट्रैक्टरों को जब्त किया। विभाग ने बताया कि संबंधित वाहन संचालकों के विरुद्ध खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 तथा छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के तहत कार्रवाई की जा रही है, लेकिन इन कार्रवाइयों के बीच अब एक बड़ा सवाल स्थानीय स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है, लोगों का कहना है कि यदि अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ अभियान चल रहा है तो क्या इसकी जांच केवल छोटे परिवहनकर्ताओं तक ही सीमित रहेगी, या बड़े स्तर पर संचालित स्टोन क्रेशरों और उनकी लीज खदानों की भी व्यापक जांच होगी?

कार्रवाई ट्रैक्टरों तक,लेकिन क्रेशरों पर खामोशी?

खनिज विभाग की ओर से समय-समय पर ट्रैक्टरों और छोटे वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई की जानकारी सामने आती रहती है, लेकिन क्षेत्र के कई स्टोन क्रेशरों को लेकर लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं, स्थानीय लोगों का कहना है कि यह भी जांच का विषय होना चाहिए कि स्टोन क्रेशरों तक पहुंचने वाला पत्थर (बोल्डर) वास्तव में स्वीकृत लीज क्षेत्र से निकाला गया है या नहीं। यदि पूरा रिकॉर्ड वैधानिक है तो जांच से स्थिति स्पष्ट हो जाएगी,और यदि कहीं अनियमितता है तो उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए।

क्या लीज खदानों का नियमित भौतिक सत्यापन होता है?

खनन क्षेत्र से जुड़े जानकारों का मानना है कि केवल परिवहन पर निगरानी पर्याप्त नहीं है,यदि अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण करना है तो लीज खदानों का समय-समय पर भौतिक सत्यापन भी आवश्यक है,वे सुझाव देते हैं कि संबंधित खदानों की सीमाओं का सत्यापन कर यह देखा जाए कि उत्खनन स्वीकृत क्षेत्र के भीतर ही हुआ है या नहीं, इसके अलावा उत्खनन की मात्रा,उपलब्ध स्टॉक और अभिलेखों का भी मिलान किया जाना चाहिए।

स्टॉक रजिस्टर और रॉयल्टी अभिलेखों का भी हो परीक्षण

स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि विभाग निष्पक्ष जांच करना चाहता है तो केवल वाहनों की जांच से आगे बढ़ना होगा,उनकी मांग है कि प्रत्येक स्टोन क्रेशर के स्टॉक रजिस्टर,रॉयल्टी भुगतान के रिकॉर्ड, उत्पादन विवरण और वास्तविक उपलब्ध सामग्री का मिलान कराया जाए,इससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि खनिज का उत्खनन और उपयोग नियमों के अनुरूप हो रहा है या नहीं।

पर्यावरणीय शर्तों का पालन भी जांच के दायरे में आए...

खनन केवल राजस्व का विषय नहीं, बल्कि पर्यावरण से भी जुड़ा मामला है,इसलिए स्थानीय लोगों का कहना है कि यह भी देखा जाना चाहिए कि संबंधित लीज क्षेत्रों में पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का पालन हो रहा है या नहीं,पौधारोपण,सुरक्षा प्रबंध,सीमांकन,खदान संचालन की निर्धारित शर्तें और पुनर्वास संबंधी प्रावधानों का जमीनी स्तर पर परीक्षण भी आवश्यक है।

बड़े और छोटे पर समान नियम लागू हों...

क्षेत्र में यह चर्चा भी है कि कार्रवाई का दायरा केवल छोटे परिवहनकर्ताओं तक सीमित नहीं होना चाहिए,स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यदि किसी छोटे वाहन पर नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई होती है तो बड़े खनन कारोबारों की भी उसी स्तर की जांच और निगरानी होनी चाहिए, कानून सभी पर समान रूप से लागू होना चाहिए, तभी कार्रवाई निष्पक्ष मानी जाएगी।

कलेक्टर से स्वतंत्र जांच की मांग...

स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि जिले के सभी स्टोन क्रेशरों,उनकी लीज खदानों,स्टॉक रजिस्टर,रॉयल्टी रिकॉर्ड और पर्यावरणीय शर्तों के पालन की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच कराई जाए,उनका कहना है कि यदि जांच में किसी प्रकार की अनियमितता सामने आती है तो संबंधित संचालकों के विरुद्ध भी नियमानुसार कार्रवाई की जाए,वहीं यदि सब कुछ नियमों के अनुरूप पाया जाता है तो इससे अनावश्यक शंकाओं का भी समाधान हो जाएगा।

निष्पक्ष कार्रवाई से ही बनेगा विश्वास

अवैध खनन पर प्रभावी रोक लगाने के लिए केवल परिवहन पर कार्रवाई पर्याप्त नहीं मानी जा सकती। खनन की पूरी प्रक्रिया—लीज क्षेत्र से लेकर उत्खनन,परिवहन,स्टॉक और पर्यावरणीय अनुपालन तक—की नियमित निगरानी आवश्यक है,अब निगाहें जिला प्रशासन और खनिज विभाग पर हैं कि क्या वे स्थानीय लोगों द्वारा उठाए गए इन सवालों के मद्देनजर व्यापक जांच का निर्णय लेते हैं या कार्रवाई का दायरा केवल छोटे वाहनों तक ही सीमित रहता है।

ग्रामीणों ने मांगी गांव-गांव भौतिक जांच,वैक्सीन खपत और रिकॉर्ड की निष्पक्ष पड़ताल की मांग

राजेन्द्र शर्मा

खड़गवां/एमसीबी,20 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

एमसीबी जिले में पशुपालन विभाग द्वारा संचालित टीकाकरण अभियान अब सवालों के घेरे में है, ग्रामीणों और पशुपालकों का दावा है कि जिले के कई गांवों में न तो टीकाकरण दल पहुंचे और न ही पशुओं को वैक्सीन लगाई गई,जबकि शासन को संबंधित क्षेत्रों में 100 प्रतिशत टीकाकरण पूरा होने की रिपोर्ट भेजे जाने की चर्चा है,यदि यह दावा और जमीनी स्थिति में अंतर है,तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि शासन से प्राप्त वैक्सीन का उपयोग आखिर कहां हुआ? मामले को लेकर स्थानीय स्तर पर चर्चा तेज हो गई है,ग्रामीणों का कहना है कि यदि गांवों में टीकाकरण अभियान चला ही नहीं,तो फिर शत-प्रतिशत सफलता की रिपोर्ट किस आधार पर तैयार की गई,उनका मानना है कि पूरे मामले की केवल कागजी जांच नहीं,बल्कि गांव-गांव जाकर स्वतंत्र और निष्पक्ष भौतिक सत्यापन होना चाहिए।

जमीन पर दावा कुछ और,रिकॉर्ड में कुछ और?-पशुपालकों का आरोप है कि कई गांवों में टीकाकरण दल कभी पहुंचे ही नहीं, कई पशुपालकों का कहना है कि उनके पशुओं को इस अभियान के दौरान कोई टीका नहीं लगाया गया,दूसरी ओर यदि विभागीय अभिलेखों में इन गांवों को भी पूर्ण टीकाकृत दिखाया गया है,तो रिकॉर्ड और वास्तविक स्थिति के बीच अंतर की आशंका पैदा होती है, हालांकि,इन दावों की आधिकारिक पुष्टि स्वतंत्र रूप से नहीं हुई है और इसी कारण स्थानीय लोग निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं।

सबसे बड़ा सवाल—वैक्सीन गई कहाँ?-पूरे मामले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू वैक्सीन की उपलब्धता और उसके उपयोग को लेकर है, यदि शासन ने जिले के विकासखंडों को निर्धारित संख्या में वैक्सीन उपलब्ध कराई थी, तो यह स्पष्ट होना चाहिए कि कितनी वैक्सीन जिले को प्राप्त हुई?किस विकासखंड को कितनी मात्रा आवंटित की गई? कितनी वैक्सीन का उपयोग दर्ज किया गया? कितनी वैक्सीन शेष बची और उसका रिकॉर्ड क्या है? यदि रिकॉर्ड में पूरी वैक्सीन उपयोग होना दर्शाया गया है, लेकिन कुछ गांवों में टीकाकरण नहीं हुआ, तो जांच का विषय यह होगा कि वैक्सीन का वास्तविक उपयोग किस प्रकार हुआ।

स्टॉक रजिस्टर से लेकर कोल्ड-चेन तक जांच की मांग- ग्रामीणों और पशुपालकों ने मांग की है कि जांच केवल टीकाकरण रिपोर्ट तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, उनका कहना है कि निम्नलिखित दस्तावेजों की भी गहन जांच की जाए वैक्सीन स्टॉक रजिस्टर, विकासखंडवार वितरण रजिस्टर,गांववार टीकाकरण विवरण,कोल्ड-चेन रखरखाव रिकॉर्ड, वैक्सीन प्राप्ति एवं उपयोग संबंधी अभिलेख, अभियान से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यवाही रिपोर्ट, इन सभी दस्तावेजों का आपस में मिलान करने से वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकती है।

भौतिक सत्यापन ही बताएगा सच्चाई-स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि जांच केवल कार्यालयों में बैठकर की गई तो सच्चाई सामने आना कठिन होगा,उनकी मांग है कि प्रत्येक गांव में जाकर पशुपालकों से जानकारी ली जाए कि उनके पशुओं का वास्तव में टीकाकरण हुआ था या नहीं, यदि गांववार सर्वे कराया जाता है, तो रिकॉर्ड और जमीनी स्थिति का अंतर आसानी से सामने आ सकता है।

यदि अंतर मिला तो मामला गंभीर हो सकता है-यदि जांच में यह सामने आता है कि रिकॉर्ड में टीकाकरण दर्शाया गया लेकिन वास्तविकता में अभियान पूरा नहीं हुआ,तो मामला केवल आंकड़ों की त्रुटि तक सीमित नहीं रहेगा,ऐसी स्थिति में वैक्सीन के उपयोग, सरकारी संसाधनों के प्रबंधन और विभागीय जवाबदेही जैसे मुद्दों की भी जांच आवश्यक हो सकती है, हालांकि, यह सब जांच के निष्कर्षों पर निर्भर करेगा।

जांच में इन बिंदुओं पर हो विशेष पड़ताल- स्थानीय लोगों ने मांग की है कि जांच के दौरान विशेष रूप से इन प्रश्नों के उत्तर तलाशे जाएं शासन से जिले को कुल कितनी वैक्सीन प्राप्त हुई? प्रत्येक विकासखंड को कितनी वैक्सीन वितरित की गई? गांववार कितने पशुओं का टीकाकरण दर्ज किया गया? बची हुई वैक्सीन का स्टॉक कहां और कितना है? जिन गांवों में टीकाकरण नहीं होने का दावा किया जा रहा है,वहां 100 प्रतिशत सफलता की रिपोर्ट किस आधार पर तैयार की गई? वैक्सीन वितरण और उपयोग के लिए कौन-कौन अधिकारी एवं कर्मचारी जिम्मेदार थे?

पारदर्शी जांच से ही दूर होगा संदेह- पशुपालन विभाग का टीकाकरण अभियान पशुओं को संक्रामक बीमारियों से बचाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, ऐसे में यदि अभियान को लेकर किसी भी प्रकार के संदेह सामने आते हैं, तो उनका समय पर और निष्पक्ष निराकरण होना आवश्यक है, अब जिले में सबसे बड़ा प्रश्न यही है—यदि कुछ गांवों में वास्तव में टीकाकरण नहीं हुआ, तो शासन से प्राप्त वैक्सीन का उपयोग कहां और कैसे हुआ? इस प्रश्न का उत्तर केवल निष्पक्ष, दस्तावेज-आधारित और जमीनी सत्यापन वाली जांच ही दे सकती है।

कार्यालय कलेक्टर,जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज एवं पदेन उप सचिव छत्तीसगढ़ शासन,राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

अधिसूचना

बलरामपुर दिनांक 05/06/2026

क्रमांक /3661/अ-82 / 2024-25- चूँकि राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित भूमि की जल संसाधन संभाग बलरामपुर अन्तर्गत बेनगंगा जलाशय योजना सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम,2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के तहत यह घोषित किया जाता है,कि इस भूमि का उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है -

अनुसूची

कुल भूमि का वर्णन -
1. जिला - बलरामपुर-रामानुजगंज
2. तहसील - कुसमी
3. ग्राम - घुटराडीह, नटवरनगर, रातासिली, शाहपुर
4. प0ह0नं0 - 08, 10
5. भूमि का क्षेत्रफल - **56.946** हे0

ग्रामवार भूमि का वर्णन -
1. जिला - बलरामपुर-रामानुजगंज
2. तहसील - कुसमी
3. ग्राम घुटराडीह
4. प0ह0नं0 -10
5. भूमि का क्षेत्रफल - **25.741 हे0**

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
1122/1	0.202
1209	0.138
1125/1	0.243
1152	0.441
1128/1	0.346
1129/1	0.457
1128/2	0.306
1129/2	0.457
1130	0.093
1154	0.51
1174/7	0.121
1174/8	0.51
1174/9	0.219
1205/2	0.202
1224	0.502
1124	0.271
1131/1	0.821
1163	0.089
1191	0.436
1132/3	0.047
1131/2	0.811
1158	0.405
1205/1	0.227
1132/2	1.481
1159	1.295
1307	0.267
1151/1	0.215
1156/1	0.244
1151/4	0.105
1153	0.441
1156/2	0.202

1151/3	0.101
1156/3	0.323
1162	0.077
1161/1	0.217
1161/2	0.117
1161/3	0.318
1168	0.097
1167/2	0.049
1166	0.097
1186/2	0.145
1177	0.243
1202/2	0.113
1169	0.316
1185	0.202
1150	0.462
1179	0.36
1180	0.162
1231	0.125
1233	0.132
1178	0.198
1206	0.053
1210/1	0.105
1176	0.263
1151/2	0.097
1175	0.259
1172	0.105
1173	0.085
1192	0.069
1186/1	0.138
1189	0.125
1202/1	0.101
1188/1	0.125

1203	0.129
1188/2	0.126
1210/2	0.203
1208/1	0.364
1208/2	0.178
1208/3	0.089
1208/4	0.364
1125/2	0.202
1204	0.344
1182	0.036
1183	0.45
1228/2	0.345
1193/2	0.112
1232/4	0.121
1228/1	0.35
1193/1	0.202
1181	0.028
1232/1	0.105
1238	0.833
1232/2	0.32
1232/3	0.129
217	0.282
1160	1.416
1165	0.166
1170	0.073
1187	0.405
1223	0.105
212	0.514
214/1	0.186
214/3	0.028
214/2	0.045
214/4	0.008
योग -95	**25.741**

कुल भूमि का वर्णन -
1. जिला - बलरामपुर-रामानुजगंज
2. तहसील - कुसमी
3. ग्राम - नटवरनगर
4. प0ह0नं0 - 10
5. भूमि का क्षेत्रफल - **15.270** हे0

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
497	0.202
498/2	0.141
504/1	0.219
501	0.085
502	0.081
1292	0.462
1293	0.263
1294	0.263
1295	0.534
1291/1	0.121
1291/2	0.583
1291/8	0.246
1312	0.227
1296	0.339
1308	0.146
1290	0.081
1297	0.624
1459	0.210
1286	0.283
1288	0.048

1285/2	0.154
1287/1	0.145
1310/4	0.081
1310/3	0.081
1287/2	0.146
1287/4	0.150
1306/1	0.324
1311	0.445
1310/2	0.081
1287/3	0.146
1309/2	0.132
1306/2	0.324
1310/1	0.081
1307	0.700
1313	0.113
1314/1	0.125
1314/2	0.126
1315/1	0.162
1309/1	0.131
1303/1	0.688
1302	0.563
1305	0.251
1461/2	0.304
1461/1	0.324
1460/1	0.121
1457/2	0.089
1460/2	0.202

1457/1	0.072
1460/3	0.141
1457/3	0.081
1460/4	0.173
1462/3	0.168
1467	0.121
1468	0.486
1454	0.016
1451	0.072
1456	0.145
1474	0.243
479	0.210
499/1	0.141
1303/2	0.688
1465	0.121
245	0.160
1315/2	0.149
1279	0.121
1281	0.012
503	0.077
504/2	0.057
504/3	0.194
1391/2	0.122
482	0.105
500	0.020
499/2	0.028
योग- 73	**15.270**

कुल भूमि का वर्णन -
1. जिला - बलरामपुर-रामानुजगंज
2. तहसील - कुसमी
3. ग्राम - रातासिली
4. प0ह0नं0 - 08
5. भूमि का क्षेत्रफल - **8.671** हे0

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
9/5	0.293
246/1	0.358
246/3	0.359
11/2	0.223
246/2	0.258
54/1	0.368

60/1	0.036
9/7	0.293
9/1	0.283
2/2	0.729
4	0.425
11/3	0.458
11/1 क	0.065
11/5	0.405
9/3	0.178
10/2	0.172
11/4	0.233
12/1	0.259
13/1	0.041

247/1	0.032
9/2	0.121
9/4	0.437
10/1	0.148
11/1 ख	0.081
53	0.061
54/2	0.032
9/6	0.587
12/3	0.259
3/4	1.416
60/2	0.061
योग-30	**8.671**

कुल भूमि का वर्णन -
1. जिला - बलरामपुर-रामानुजगंज
2. तहसील - कुसमी
3. ग्राम - शाहपुर
4. प0ह0नं0 - 08
5. भूमि का क्षेत्रफल - **7.264** हे0

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
103	0.012
881	0.089
882	0.016
98	0.177
173	0.097
845	0.121
851	0.049
795/3	0.029
842/1	0.093
786/2	0.016
798	0.016
795/1	0.028
795/2	0.028
792/2	0.089
792/1	0.064
794/2	0.101
794/1	0.101
792/3	0.025
786/1	0.016
174	0.057
793	0.061
799	0.113
721	0.136
780/1	0.020
780/2	0.020
780/3	0.020
253	0.065

779/1	0.028
128	0.048
779/2	0.061
765/3	0.101
777	0.096
778/2	0.008
765/2	0.012
765/1	0.129
765/4	0.012
778/1	0.008
70/3	0.020
65/1	0.061
65/2	0.061
64/1	0.081
63	0.256
171	0.089
172	0.008
61	0.162
94	0.177
62	0.041
724	0.081
124/2	0.008
126/1	0.012
126/2	0.020
67/2	0.008
135/2	0.032
102	0.105
872	0.008
880	0.020
101	0.008
99	0.162
46/1	0.064
46/2	0.020
71/2	0.048
45	0.501

852	0.020
761/1	0.128
601	0.141
250	0.262
252	0.008
599	0.162
243/4	0.341
247	0.041
268	0.041
251	0.081
248	0.081
60/1	0.057
60/3	0.162
139/1	0.028
46/3	0.020
71/1	0.089
138/2	0.012
125/1	0.008
138/1	0.024
127/1	0.028
127/2	0.020
125/2	0.064
93/1	0.008
115/2	0.049
117/1	0.081
117/3	0.097
44	0.028
114	0.081
117/2	0.096
70/2	0.020
265	0.210
243/3	0.344
496	0.176
846	0.041
योग-96	**7.264**
महायोग-294	**56.946**

2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुसमी के कार्यालय में किया जा सकता है ।
3. उक्त भूमि अर्जन में किसी भी व्यक्ति का विस्थापन निहित नही है ।

उक्त योजना के लिये अनुमोदित पुनर्वास योजना के अनुसार प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित शुन्य व्यक्तियों का पुनर्वासित किया जाना प्रस्तावित है । पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन हेतु ग्राम घुटराडीह, नटवरनगर, रातासिली, शाहपुर तहसील कुसमी जिला - बलरामपुर- रामानुजगंज की भूमि खसरा नम्बर निरंक रकबा निरंक हे0 का चयन किया गया है। पुनर्वास योजना का अवलोकन प्रशासक/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुसमी के कार्यालय में किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

अनमोल विवेक टोप्पो
अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन
अधिकारी, कुसमी

श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी
कलेक्टर
जिला - बलरामपुर-रामानुजगंज
एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

फीफा वर्ल्ड कप 2026 हुआ स्पेन के नाम

न्यूयॉर्क,20 जुलाई 2026। स्पेन ने डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना को हराकर दूसरी बार फीफा विश्व कप का खिताब जीता। पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ एक गोल गंवाने वाली स्पेन के अभेद्य रक्षण में लियोनेल मेस्सी भी सेंध नहीं लगा सके और लगातार दूसरा विश्व कप जीतने का उनका सपना आखिरी तिलिस्म पर आकर टूट गया। खिताबी मुकाबले में स्पेन ने अर्जेंटीना को 1-0 से हराया। इसके साथ ही यूरोपियन टीम ने दूसरी बार फीफा विश्व कप का खिताब अपने नाम किया।

फेरान टोरेस ने किया गोल

निर्धारित 90 मिनट में कोई गोल नहीं हुआ। एक्स्ट्रा टाइम के दूसरे हाफ में फेरान टोरेस ने 106वें मिनट में गोल करके स्पेन को 16 साल बाद विश्व चैम्पियन बना दिया। इस गोल को निको विलियम्स ने असिस्ट किया था।

स्पेन का जोरदार सेलिब्रेशन

फीफा विश्व कप 2026 का खिताब जीतने के बाद स्पेन की टीम ने जोरदार सेलिब्रेशन किया। टीम के खिलाड़ियों फाइनल सिटी बजते ही मैदान की तरफ भागे और एक दूसरे को गले लगा लिया।

यमाल और निको विलियम्स ट्रॉफी के साथ

निको विलियम्स इस मुकाबले में सब्स्टीट्यूट के रूप में उतरे थे। ट्रॉफी लेकर उन्होंने लामिन यमाल के साथ जश्न मनाया। दोनों 2024 में यूरो कप जीतने वाली स्पेन की टीम का भी हिस्सा थे।

कप्तान रोड्री ने ट्रॉफी को चूमा

स्पेन के कप्तान रोड्री ने स्टेज पर रखी ट्रॉफी को जाकर चूम लिया। टीम को ट्रॉफी मिलने के बाद लगभग सभी खिलाड़ियों ने इस चूमकर जश्न मनाया। टीम में शामिल सभी खिलाड़ियों की यह पहली फीफा विश्व कप ट्रॉफी है।

स्पेन के खिलाफ एक ही गोल पड़ा

यह 2010 के बाद स्पेन का दूसरा विश्व खिताब है। टूर्नामेंट में आठ मैचों में सिर्फ एक गोल गंवाने वाली स्पेन ने चैम्पियन द्वारा सबसे कम गोल गंवाने का विश्व रिकॉर्ड भी बनाया। वहीं पूरे टूर्नामेंट में आखिरी मिनटों में चमत्कारिक वापसी करती आई अर्जेंटीना उस प्रदर्शन को दोहरा नहीं सकी।

फीफा वर्ल्ड कप 2026 जीतने वाली स्पेन को मिले 4814252500 रुपये,हार के बाद भी मालामाल हुई अर्जेंटीना की टीम

स्पेन ने रविवार को मेटलाइफ स्टेडियम में खेले गए ऐतिहासिक फाइनल मुकाबले में लियोनेल मेसी की अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप 2026 का खिताब अपने नाम कर लिया है। यूरोपीय चैंपियन स्पेन ने न सिर्फ फुटबॉल का सबसे बड़ा इनाम जीता, बल्कि फीफा की ओर से मिलने वाली रिकॉर्ड तोड़ इनामी राशि पर भी कब्जा जमाया। वहीं दूसरी ओर इस हार के साथ अर्जेंटीना का चार साल पहले कतर में जीते अपने खिताब का बचाव करने का सपना टूट गया, लेकिन उपविजेता बनने के बाद भी टीम को एक बहुत बड़ी रकम हाथ लगी है। दिसंबर 2025 में फीफा अध्यक्ष गियानी इन्फेंटिनो के नेतृत्व में हुई फीफा काउंसिल की बैठक के अनुसार, इस साल के टूर्नामेंट में विश्व कप इतिहास का सबसे बड़ा प्राइज पूल रखा गया था।

स्पेन और अर्जेंटीना को मिली रिकॉर्ड इनामी राशि

फीफा द्वारा घोषित प्राइज मनी के अनुसार, इस बार फाइनलिस्ट टीमों को पिछले सभी सीचन से कहीं ज्यादा रकम मिली है-
विजेता (स्पेन)- खिताब जीतने वाली स्पेनिश टीम को 50 मिलियन डॉलर (करीब 481 करोड़ रुपये) का बंपर इनाम मिला है। यह पुरुषों के विश्व कप इतिहास में किसी भी विजेता को दी जाने वाली अब तक की सबसे बड़ी राशि है। यह अर्जेंटीना द्वारा 2022 में जीती गई राशि से 8 मिलियन डॉलर अधिक है।
उपविजेता (अर्जेंटीना)- फाइनल में 1-0 से शिकस्त झेलने वाली अर्जेंटीना की टीम को रनर्स-अप के तौर पर 33 मिलियन डॉलर (करीब 318 करोड़ रुपये) मिलेंगे। यह 2022 में उपविजेता रही फ्रांस की टीम को मिली राशि से 3 मिलियन डॉलर ज्यादा है।

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में कुल प्राइज पूल और टीमों का हिस्सा

फीफा काउंसिल के मुताबिक, 2026 विश्व कप का कुल प्राइज पूल 655 मिलियन डॉलर तय किया गया था, जो कि 2022 के टूर्नामेंट से पूरे 50 प्रतिशत अधिक है। टूर्नामेंट में भाग लेने वाली सभी 48 टीमों को उनके प्रदर्शन और स्थान के आधार पर मोटी रकम मिली है।

इस बार 48 टीमों के विस्तारित फॉर्मेट के साथ, फीफा ने प्रत्येक क्वालीफाई करने वाले देश के लिए प्राइज मनी में भारी बढ़ोतरी की थी, जिसका फायदा टूर्नामेंट से बाहर होने वाली शुरुआती टीमों को भी मिला है। जहां एक तरफ स्पेन अपनी इस ऐतिहासिक विश्व कप जीत का जश्न मना रहा है, वहीं दूसरी तरफ सभी प्रतिभागी देश इस रिकॉर्ड-ब्रेकिंग प्राइज फंड से मालामाल हुए हैं।

नाम सुधार सूचना

मैं रेशम सिंह आ0 सरदार भगत सिंह आयु 67 वर्ष निवासी- पंजाब होटल अग्रसेन चौक वार्ड 38 पुराना बस स्टैण्ड, हॉस्पिटल रोड अम्बिकापुर सरगुजा छ0ग0 का यह घोषित करता हूं कि मेरा पूरा नाम सरदार रेशम सिंह भसूला है, जिसका वर्तमान में मेरा नाम रेशम सिंह पढ़ा एवं समझा जाए ।

मेरे अन्य दस्तावेज में रेशम सिंह नाम अंकित है, लेकिन मेरे आधार कार्ड नंबर - 8057 7249 2875 में सरदार रेशम सिंह भसूला त्रुटिवश अंकित हो गया है, जिसमें सुधार कर मेरा नाम रेशम सिंह पढा एवं समझा जाए।

अम्बिकापुर
दिनांक- 20.07.2026

शपथग्रहिता
रेशम सिंह

रोहित शर्मा ने लॉर्ड्स में रचा इतिहास

नई दिल्ली,20 जुलाई 2026। भारतीय क्रिकेट टीम- स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे और आखिरी वनडे मुकाबले में शानदार शतक लगाकर एक बार फिर अपनी बल्लेबाजी का दम दिखाया। लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर खेले गए इस मुकाबले में रोहित शर्मा ने अपने वनडे करियर का 34वां शतक पूरा किया। हालांकि, इस यादगार पारी की सबसे खास बात यह रही कि हिटमैन ने यह शतक अपने बल्ले से नहीं बल्कि अपने खास दोस्त और भारतीय टीम के साथी खिलाड़ी शार्दुल ठाकुर के बल्ले से लगाया। क्रिकेट प्रशंसकों के लिए यह बात काफी दिलचस्प रही कि रोहित शर्मा जिस बल्ले से इंग्लैंड के खिलाफ रन बरसा रहे थे, उस पर शार्दुल ठाकुर का नाम लिखा हुआ था। मैच के दौरान कैमरे में यह बात कैद हो गई, जिसके बाद फैंस के बीच इसकी चर्चा शुरू हो गई। कमेंट्री बॉक्स में मौजूद शार्दुल ठाकुर ने भी इस बात की पुष्टि की कि रोहित जिस बल्ले का इस्तेमाल कर रहे थे, वह उनका ही था।

न्यायालय नजूल अधिकारी अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा,

रा.प्र.क्र./अ-20(1)/2025-26

ईश्तहार

एतद द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक / आवेदिका संजय कुमार नागवानी आ0 / पति उधा राम नागवानी जाति निवासी मायापुर वार्ड अम्बिकापुर तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ0ग0 के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि मोहल्ला-गुदरी बाजार, शीट नम्बर-3 नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल प्लाट नम्बर 1177/15 रकबा 418 वर्गफीट भूमि का लीज अवधि दिनांक 31.3.2026 को समाप्त हो गई है। जिस कारण आवेदक / आवेदिका द्वारा लीज अवधि बढ़ाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः उक्त के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा/आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक- 28.07.2026 तक इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा / आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेंगा।

आज दिनांक- 06.07.2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी ।

सील

नजूल अधिकारी ,अंबिकापुर

न्यायालय नजूल अधिकारी अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा,

रा.प्र.क्र./अ-20(1)/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक / आवेदिका संजय कुमार नागवानी आ0 / पति उधा राम नागवानी जाति निवासी मायापुर वार्ड अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ0ग0 के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया हूँ कि मोहल्ला-गुदरी बाजार, शीट नम्बर-3 नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल प्लाट नम्बर 1177 / 14 रकबा 480 वर्गफीट भूमि का लीज अवधि दिनांक 31.3.2026 को समाप्त हो गई है। जिस कारण आवेदक / आवेदिका द्वारा लीज अवधि बढ़ाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः उक्त के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा/आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक- 28.07.2026 तक इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा / आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेंगा।

आज दिनांक- 06.07.2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी।

सील

नजूल अधिकारी ,अंबिकापुर

न्यायालय तहसीलदार अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा (छ0ग0)

रा0प्र0क्र0 202602020700 189/ अ 27 / 2025-26

फर्द बटवारा का अंतिम प्रकाशन

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि इस न्यायालय के रा0प्र0क्र0-202602020700189/अ-27/2025-26 पक्षकार विशम्भर वगै प्रति कोई नहीं में ग्राम भिट्ठीकला स्थित खसरा नंबर 20/1, 117/1, 141/1, 156 / 1, 157/1 213/1, 273/1, 273/1, 1343/1, 333/1, 1279/1, 1301/2 रकबा 0.646, 0.426. 0.168, 0.105, 0.203, 0.320, 0.069, 0.016 0.128, 0.405, 2.043 हे भूमि का फर्द बंटवारा सूची हल्का पटवारी से प्राप्त हुआ है,जिसका अंतिम प्रकाशन कराया जा रहा है । अतः उक्त फर्द बंटवारा में किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो पेशी दिनांक 31/07/2026 को न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। समय सीमा के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

आज दिनांक 15/07/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालीन पदमुद्रा से जारी ।

सील

तहसीलदार
अम्बिकापुर
जिला-सरगुजा(छ0ग0)

न्यायालय नजूल अधिकारी, अम्बिकापुर जिला- सरगुजा

रा0प्र0क्र0/ अ-20 (3)/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि आवेदिका श्रीमती रेनु अग्रवाल पति शेखर अग्रवाल, जाति अग्रवाल, निवासी एम0जी0 रोड़ अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ0ग0 के द्वारा शीट नम्बर-13 मोहल्ला नमनाकला, नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल प्लाट नम्बर 233/3, रकबा $0.30^{1/2}$ एकड़ भूमि को बैक में बंधक रखकर ऋण प्राप्त करने की अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र मय मेंन्टनेश खसरा की प्रतिलिपि सहित पेश किया गया है।

उक्त भू-खण्ड के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा-आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक- 31.07.2026 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते है। नियत समय-सीमा के बाद प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेंगा।

आज दिनांक 17.07.2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी ।

सील

नजूल अधिकारी,
अम्बिकापुर

न्यायालय तहसीलदार लटोरी जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़

ईश्तहार

रा0प्र0क्र0 2026072621000 बी-121/2025-26

दुलेश्वरी प्रति छ0ग0 शासन

सर्वसाधारण ग्राम सोनवाही रा.नि.मं. पिलखा तहसील लटोरी जिला- सूरजपुर छ0ग0 को सूचित किया जाता है कि आवेदिका श्रीमती दुलेश्वरी पति देवशंकर प्रसाद जाति तुरिया निवासी ग्राम सोनवाही तहसील लटोरी जिला सूरजपुर छ0ग0 आवेदन पत्र प्रस्तुत कर लेख किया गया है कि आवेदिका के पति एस.ई.सी.एल. भटगांव में पदस्थ है एवं आवेदिका के पति के सर्विस बुक जे.बी.पी. में आवेदिका का नाम दिलेश्वरी लिखा गया है, जो गलत है। आवेदिका का नाम अन्य दस्तावेजों में आधार कार्ड में दुलेश्वरी पति देवशंकर प्रसाद लिखा हुआ है, जो सही है। आवेदिका के पति के सर्विस बुक में सही नाम अंकित कराने हेतु एवं दिलेश्वरी एवं दुलेश्वरी एक ही व्यक्ति है एवं दोनो नाम एक ही व्यक्ति का है, के संबंध में प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

उक्त भूमि पर जिस किसी को आपत्ति हो तो वह दिनांक 31/07/2026 को स्वतः उपस्थित होकर अपना आपत्ति दावा प्रस्तुत कर सकता है । नियत तिथि के बाद प्राप्त आपत्ति दावा पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 17/07/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय के पदमुद्रा से जारी किया गया।

सील

तहसीलदार
लटोरी
जिला- सूरजपुर(छ0ग0)

न्यायालय नजूल अधिकारी, अम्बिकापुर जिला - सरगुजा

रा0प्र0क्र0 - /20 (1)/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक / आवेदिका सचिन कुमार गुप्ता आ0/ पति जगदीश प्रसाद गुप्ता जाति, निवासी बाबूपारा, अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ0ग0 के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि मोहल्ला - बाबूपारा, शीट नम्बर-9 नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल प्लाट नम्बर 3467/4866/220 रकबा 3080 वर्गफीट भूमि का लीज अवधि दिनांक 31.3.2026 को समाप्त हो गई है। जिस कारण आवेदक / आवेदिका द्वारा लीज अवधि बढ़ाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः उक्त के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा / आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक- 27.07.2026 तक इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा / आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेंगा ।

आज दिनांकः- 10.07.2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी ।

सील

नजूल अधिकारी,
अम्बिकापुर

न्यायालय तहसीलदार लटोरी जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़

ईश्तहार

रा0प्र0क0 2026062621000 अ-21/2025-2026

गीता उर्फ पारूल मण्डल प्रति अंजली मण्डल

सर्व साधारण ग्रामवासी ग्राम रविन्द्रनगर तहसील लटोरी को सूचित किया जाता है कि आवेदिका गीता उर्फ पारूल मण्डल आ0 स्व0 पूरन मण्डल निवासी ग्राम रविन्द्रनगर तहसील लटोरी जिला सूरजपुर छ0ग0 द्वारा अपने स्वामित्व एवं अधिपत्य की भूमि ग्राम रविन्द्रनगर तहसील लटोरी जिला सूरजपुर स्थित भूमि ख0न0 68/10 रकबा 0.40 हे0 भूमि स्थित है। उक्त भूमि को अनावेदिका अंजली मण्डल पति स्व0 हरिबिन्दू मण्डल निवासी ग्राम रविन्द्रनगर तहसील लटोरी के पास 20,00,000/- (बीस लाख रूपये) में विक्रय करने हेतु सौदा तय किया गया है,जिसमें से 13,00,000/- (तेरह लाख रूपये) अग्रिम राशि प्रदाय किया गया है। आवेदित भूमि पुर्नवास विभाग से प्राप्त भूमि है। उक्त भूमि को विक्रय करने हेतु अनुमति बावत आवेदन पत्र कलेक्टर महोदय सूरजपुर को प्रस्तुत करने से जांच प्रतिवेदन हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है ।
अतः उक्त संबध में जिस किसी व्यक्ति को कोई दावा / आपत्ति हो तो वे स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से इस न्यायालय में दिनांक 30-07-2026 को उपस्थित हो कर दावा/ आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। इस तिथि के बाद में प्राप्त दावा / आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।
किया गया।
आज दिनांक 19-06-2026 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुहर से जारी किया गया।

सील

तहसीलदार
लटोरी
जिला-सूरजपुर(छ0ग0)

छत्तीसगढ़ में सोनम वांगचुक के समर्थन में आंदोलन

सामाजिक कार्यकर्ताओं ने किया भूख हड़ताल,एनसीयूआई ने की सख्त कानून-शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग

रायपुर,20 जुलाई 2026। छत्तीसगढ़ में नीट पेपर लीक मामले को लेकर युवाओं का विरोध तेज हो गया है। राजधानी रायपुर में सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के समर्थन में शुरू हुआ आंदोलन सोमवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। डॉ. भीमराव अंबेडकर चौक पर अलग-अलग छात्र संगठनों, सामाजिक संगठनों और कई पृष्ठभूमि से जुड़े युवाओं ने धरना-प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान हस्द्ध के 5 कार्यकर्ता अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए। हंगर स्ट्राइक करने वालों में हेमंत पाल, अनुज शुक्ला,इंडिया घृतलहरे,ड्रिंकल और सोनम शामिल हैं। इसके अलावा प्रदर्शनकारियों ने अपने खून से 'धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो' लिखकर विरोध दर्ज कराया। वहीं,धमतरी में सामाजिक कार्यकर्ता मितेश जैन ने गांधी मैदान में एक दिवसीय अनशन किया। अनशन स्थल पर 'एक दिवसीय अनशन-सोनम वांगचुक के समर्थन में' का बैनर लगाया गया था। इस दौरान शहर के कई लोग भी समर्थन देने पहुंचे। इधर,बीजापुर में भी सोनम वांगचुक के आमरण अनशन के समर्थन में आदिवासी युवा छात्र संगठन, छत्तीसगढ़ (बस्तर संभाग) ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री को पत्र भेजा है। संगठन ने इन पत्रों के जरिए वांगचुक की मांगों पर सकारात्मक पहल करने की अपील की है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अब केवल आश्वासन से काम नहीं चलेगा। सरकार को परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। इसके साथ ही पेपर लीक के मामलों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए मजबूत व्यवस्था बनाने की मांग की गई।

धरने में शामिल युवाओं ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी दोहराई। उनका कहना है कि लगातार हो रहे पेपर लीक और परीक्षा संबंधी विवादों की नैतिक जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दे देश के करोड़ों युवाओं से जुड़े हैं। इसलिए केंद्र सरकार को इन मुद्दों पर गंभीरता से निर्णय लेना चाहिए। प्रदर्शन के दौरान दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए घटनाक्रम का भी जिक्र किया गया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने वाले लोगों के साथ की गई कार्रवाई उचित नहीं है। उनका कहना है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर नागरिक को अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से रखने का अधिकार है और इसका सम्मान किया जाना चाहिए।

युवाओं ने कहा...यह भविष्य बचाने की लड़ाई...

रायपुर में प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे आंदोलन में शामिल होने नहीं जा सके। इसलिए रायपुर में रहकर ही सोनम वांगचुक और शिक्षा सुधार की मांगों के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह आंदोलन किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि देशभर के छात्रों और युवाओं के भविष्य से जुड़ा मुद्दा है।

शिक्षा और रोजगार के मुद्दों पर सरकार से कार्रवाई की मांग...

धरने में शामिल छात्रों और युवाओं ने कहा कि देशभर में लगातार सामने आ रहे पेपर लीक के मामलों ने लाखों प्रतियोगी परीक्षार्थियों का भविष्य प्रभावित किया है। कई युवाओं को बार-बार परीक्षाएं देनी पड़ रही हैं,जिससे उनका समय,मेहनत और आर्थिक संसाधन प्रभावित हो रहे हैं।

स्मार्ट मीटर-बढ़े बिजली बिल के विरोध में उतरेगी कांग्रेस....23 जुलाई को धरना प्रदर्शन

यह सरकार को नींद से जगाने का काम करेगा : कन्हैया अग्रवाल

रायपुर,20 जुलाई 2026। स्मार्ट मीटर और बढ़े हुए बिजली बिलों के मुद्दे पर कांग्रेस ने राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन का ऐलान किया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री कन्हैया अग्रवाल और असंगठित क्षेत्र समस्या निवारण प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद सिद्दीक ने बताया कि 23 जुलाई को रायपुर के राजीव गांधी चौक पर एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। इस प्रदर्शन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ स्मार्ट मीटर और बढ़े हुए बिजली बिलों से परेशान उपभोक्ता भी शामिल होंगे। कांग्रेस नेताओं ने मांग की है कि जिन घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं, उन्हें तत्काल हटाया जाए। साथ ही नए स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए। बढ़े हुए बिजली बिलों की निष्पक्ष जांच कर उपभोक्ताओं को राहत देने की भी मांग की गई। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री कन्हैया अग्रवाल ने कहा कि स्मार्ट मीटर और बढ़े हुए बिजली बिलों से परेशान लोगों की आवाज उठाने के लिए यह आंदोलन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह धरना-प्रदर्शन प्रदेश सरकार को 'कुंभकर्णी नींद' से जगाने का काम करेगा।

स्मार्ट मीटर के बाद दोगुना-तिगुना आ रहा बिजली बिल

मोहम्मद सिद्दीक ने आरोप लगाया कि प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाए जाने के बाद बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं के बिजली बिल पहले की तुलना में दो से तीन गुना तक बढ़ गए हैं। इससे आम और मध्यमवर्गीय परिवारों का मासिक बजट पूरी तरह बिगड़ गया है। उन्होंने कहा कि हर घर से बढ़े हुए बिजली बिलों की शिकायतें मिल रही हैं, लेकिन सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही।

स्मार्ट मीटर के विरोध पर सीएम साय बोले...कांग्रेस मुद्दाविहीन, प्रदर्शन के लिए तलाश रही मुद्दे

छत्तीसगढ़ में स्मार्ट मीटर को लेकर कांग्रेस के विरोध के बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर केवल छत्तीसगढ़ में ही नहीं,बल्कि देश के कई अन्य राज्यों में भी लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा है,इसलिए वह विरोध के लिए नए-नए विषय तलाश रही है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि कांग्रेस मुद्दाविहीन हो चुकी है और उसे सिर्फ प्रदर्शन करने के लिए किसी न किसी विषय की जरूरत पड़ती है। स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को पारदर्शी और आधुनिक बिजली व्यवस्था उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

बीजेपी का अलोकतांत्रिक चेहरा बेनकाब...बातचीत की जगह आंदोलन कर रहे छात्रों पर किया गया लाठीचार्ज : भूपेश बघेल

रायपुर,20 जुलाई 2026। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने छात्रों के आंदोलन,वंदे मातरम् को लेकर प्रस्तावित नए नियम और टीएस सिंहदेव के उनके निवास पहुंचने पर बीजेपी की प्रतिक्रिया को लेकर सरकार को घेरा। छात्रों के आंदोलन पर प्रतिक्रिया देते हुए बघेल ने कहा कि संसद की शुरुआत और सदन से लेकर सड़क तक हंगामा देखने को मिल रहा है, जिससे बीजेपी का अलोकतांत्रिक चेहरा सामने आ गया है। आंदोलन कर रहे छात्रों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए और लाठीचार्ज किया गया, जो बेहद निंदनीय है। भूपेश बघेल ने कहा कि सरकार चाहती तो छात्रों को बुलाकर बातचीत कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की गलती का खामियाजा 22 लाख युवाओं को भुगतना पड़ रहा है और इस पूरे घटनाक्रम में 22 छात्र-छात्राओं ने आत्महत्या की है। इन मौतों की नैतिक जिम्मेदारी सरकार पर है।

वंदे मातरम् पर भी साधा निशाना

वंदे मातरम् को लेकर केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित नए नियमों पर भूपेश बघेल ने कहा कि वंदे मातरम् आजादी के आंदोलन का प्रतीक रहा है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वंदे मातरम् गाने वालों को अंग्रेज जेल में डाल देते थे। बघेल ने बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उस समय ये लोग अंग्रेजों की मुखबिरी करते थे और बताते थे कि कौन वंदे मातरम् गा रहा है और सजा दिलवाते थे,लेकिन आज बड़े भक्त बनने का दावा कर रहे हैं।

टीएस सिंहदेव के घर पहुंचने पर बीजेपी को दिया जवाब

पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के भूपेश बघेल के निवास पहुंचने पर बीजेपी द्वारा उठाए गए सवालों पर भी बघेल ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी बेहद बेचैन है। विधानसभा में कांग्रेस द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव का जवाब देने के बजाय सरकार ने ऐसा व्यवहार किया जैसे प्रस्ताव उनके खिलाफ हो। बघेल ने कहा कि सरकार के पास अपनी उपलब्धियां बताने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वह कांग्रेस सरकार के पांच वर्षों के कार्यकाल पर चर्चा कर रही है।

बारिश में छाता लेकर निकले 1 हजार अतिथि शिक्षक

फ्लैशलाइट जलाकर किया प्रदर्शन,संविलियन और समान वेतन की मांग,20 दिन से हड़ताल पर

दुर्ग-भिलाई,20 जुलाई 2026। छत्तीसगढ़ के 1 हजार से ज्यादा अतिथि शिक्षक अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं। दुर्ग जिले में हिंदी भवन के सामने वे पिछले 20 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। सोमवार को संविलियन, सेवा सुरक्षा और समान वेतन की मांग को लेकर शिक्षकों ने शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के निवास का घेराव करने की कोशिश की। दिन में बारिश के बीच छाता लेकर रैली निकाली। शाम को अंधेरे में फ्लैशलाइट जलाकर विरोध जताया। प्रदर्शन के दौरान शिक्षकों ने कहा कि वे पिछले 11 सालों से दूर-दराज और नक्सल प्रभावित इलाकों के स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, लेकिन आज भी उन्हें केवल मानदेय के भरोसे काम करना पड़ रहा है। उन्होंने मानदेय बढ़ाने की भी मांग की। राज्य अतिथि शिक्षक संघ के हड़ताल प्रमुख और मुख्य संरक्षक धर्मेंद्र दास वैष्णव ने कहा कि उन्हें हर महीने सिर्फ 20 हजार रुपए मानदेय मिलता है। इसी राशि में किराया, बिजली-पानी, आने-जाने का खर्च और परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। उन्होंने कहा कि कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है कि माता-पिता की मदद करने के बजाय खुद उन्हें घर से पैसे मांगकर लौटना पड़ता है। अगर परिवार में कोई बीमार पड़ जाए तो आर्थिक संकट और बढ़ जाता है। धर्मेंद्र दास ने कहा कि हम आदिवासी क्षेत्र के शिक्षक हैं। हमने नक्सल प्रभावित इलाकों में शिक्षा का प्रसार कर नक्सलवाद को खत्म करने में भूमिका निभाई है। लोगों को गोली की जगह कलम पकड़ना सिखाया है। पिछले 11 सालों से हमारा शोषण हो रहा है।

संविलियन या समायोजन पर ठोस फैसले की मांग

धर्मेंद्र दास वैष्णव ने बताया कि उनकी पोस्टिंग कोंडागांव जिले के केशकाल ब्लॉक के एक नक्सल प्रभावित गांव के स्कूल में है। वहां उन्होंने पिछले 11 साल से पढ़ाया है। उन्होंने कहा कि जिन इलाकों में कभी सड़क तक नहीं थी, वहां शिक्षक बच्चों को पढ़ाकर उन्हें इंजीनियर, वकील और दूसरे पेशों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन सरकार उनके भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में कोई फैसला नहीं ले रही है। उनका कहना है कि अब केवल आश्वासन नहीं, बल्कि संविलियन या समायोजन पर ठोस फैसला चाहिए। हम बच्चों का भविष्य बना रहे है, लेकिन हमारा कौन बनाएगा।

आत्मानंद और विवेकानंद स्कूलों का दिया उदाहरण : प्रदर्शन के दौरान शिक्षकों ने कहा कि पिछली सरकार ने आत्मानंद स्कूलों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को बेहतर वेतन और अन्य सुविधाएं दी थीं। उनका आरोप है कि वर्तमान सरकार विवेकानंद स्कूलों में भी इसी तरह की व्यवस्था कर रही है,लेकिन सालों से काम कर रहे विद्यामितान शिक्षकों के लिए अब तक कोई फैसला नहीं लिया गया। शिक्षकों का कहना है कि वे किसी विशेष सुविधा की मांग नहीं कर रहे हैं,बल्कि समान कार्य के लिए समान वेतन और सेवा सुरक्षा चाहते हैं।

पहले भी खून से लिखा था पत्र : बता दें कि इससे पहले अतिथि शिक्षकों ने शिक्षा मंत्री के नाम खून से पत्र लिखकर इच्छामृत्यु की मांग भी की थी। उनका कहना था कि अगर सरकार उनके भविष्य को सुरक्षित नहीं कर सकती तो उन्हें सम्मान के साथ जीने का अधिकार भी नहीं मिल रहा है। अब आंदोलन के 20 दिन पूरे होने के बाद शिक्षकों ने सीधे शिक्षा मंत्री के निवास तक पहुंचकर अपनी मांगों पर जल्द फैसला लेने की अपील की है। इधर, दुर्ग पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि विद्यामितान के मामले में जो भी सही होगा वो निर्णय लिया जाएगा।

छत्तीसगढ़ पुलिस में बड़ा फेरबदल 92 अधिकारियों के तबादले

रायपुर,20 जुलाई 2026। छत्तीसगढ़ शासन के गृह (पुलिस) विभाग ने सोमवार को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और उप पुलिस अधीक्षक स्तर के 92 अधिकारियों का तबादला किया है। जारी आदेश के तहत अधिकारियों को प्रशासनिक आधार पर तत्काल प्रभाव से नई पदस्थापना दी गई है। तबादला सूची में अलग-अलग जिलों में पदस्थ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों और उप पुलिस अधीक्षकों के साथ पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों के नाम भी शामिल हैं। सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से यह फेरबदल किया है। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। जारी आदेश के अनुसार राजेंद्र प्रसाद भैया को पुलिस अधीक्षक, पीटीएस मैनपाट बनाया गया है। ओपी शर्मा को मुख्यमंत्री सुरक्षा में पुलिस अधीक्षक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं नीरज चंद्राकर को प्रथम वाहिनी, छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल, भिलाई-दुर्ग का सेनानी नियुक्त किया गया है। इसके अलावा गायत्री सिंह को पुलिस मुख्यालय में सहायक पुलिस महानिरीक्षक (एनएचआरसी) के पद पर पदस्थ किया गया है।

बिलासपुर चौकीदार हत्याकांड में 2 आरोपी को किया गिरफ्तार

बिलासपुर,20 जुलाई 2026। बिलासपुर के प्लेस ऑफ सेफ्टी (विशेष गृह) में चौकीदार नरेंद्र कुमार खांडे हत्याकांड मामले में पुलिस ने फरार एक आरोपी को बिहार की राजधानी पटना से गिरफ्तार किया है। मामले में अब भी दो आरोपी फरार हैं,जिनकी तलाश रायगढ़ और उत्तर प्रदेश में की जा रही है। एसएसपी रजनेश सिंह ने दावा किया है कि फरार दोनों आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस संवेदनशील मामले में परिजनों को भड़काने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं, मृतक के परिवार और समाज के लोगों ने मुआवजा और नौकरी की मांग को लेकर सोमवार को अंबेडकर चौक से रैली निकालकर प्रदर्शन किया। बता दें कि सरकंडा थाना क्षेत्र के नूतन चौक स्थित बाल संप्रेक्षण गृह (प्लेस ऑफ सेफ्टी) में 12 जुलाई की रात चौकीदार नरेंद्र कुमार खांडे की हत्या कर विशाल चौबे और 3 किशोर अपचारी फरार हो गए थे। घटना के बाद सरकंडा थाने में मामला दर्ज कर पुलिस ने आरोपियों की तलाश के लिए विशेष टीमें गठित की थीं। पुलिस ने आरोपियों की तलाश में कोरबा,रायगढ़,बिहार,अनूपपुर और उत्तर प्रदेश में लगातार दबिश दी।

लोकसभा में सांसद बृजमोहन ने उठाया विषैले एसपीएल का मुद्दा

सरकार ने कहा-कोयले में मिलावट गैर-कानूनी...SPCB को दिए कठोर कार्रवाई के निर्देश

रायपुर,20 जुलाई 2026। वरिष्ठ भाजपा नेता एवं रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने सोमवार को मानसून सत्र के पहले दिन लोकसभा में एल्युमिनियम संयंत्रों से निकलने वाले अति-विषैले अपशिष्ट 'स्पेंट पॉट लाइनिंग' के अवैध निपटान, वाणिज्यिक कोयले में इसकी खतरनाक मिलावट और जनस्वास्थ्य पर पड़ रहे इसके घातक दुष्प्रभावों का मुद्दा उठाया। सांसद बृजमोहन ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री सेऔद्योगिक इकाइयों द्वारा वाणिज्यिक कोयले में विषैले एसपीएल को मिलाकर बेचे जाने की अवैध गतिविधियों पर जानकारी मांगी। बृजमोहन अग्रवाल ने एल्युमिनियम क्षेत्र द्वारा प्रस्तुत पर्यावरण, सामाजिक और शासन रिपोर्टों के संदर्भ में विषैले कचरे से आम जनता के स्वास्थ्य को होने वाले गंभीर खतरों पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने सीमेंट उद्योगों में एसपीएल के सुरक्षित निपटान और पिछले 5 वर्षों में दर्ज किए गए उल्लंघनों का ब्योरा मांगा। अग्रवाल ने तृतीय पक्ष विक्रेताओं की विफलता की स्थिति में सीधे एल्युमिनियम उत्पादक कंपनियों की जवाबदेही तय करने की वकालत की। उन्होंने एल्युमिनियम संयंत्रों के आसपास रहने वाले नागरिकों के स्वच्छ पर्यावरण के मौलिक अधिकार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी। सांसद अग्रवाल द्वारा उठाए गए तारांकित प्रश्नों के जवाब में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्तवर्धन सिंह ने स्पष्ट किया कि वाणिज्यिक कोयले में विषैले एसपीएल की मिलावट पूरी तरह से अवैध है और ऐसा करने वाली इकाइयों पर सख्त कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। सरकार ने स्पष्ट किया कि खतरनाक एवं अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन तथा सीमापार परिवहन) नियम, 2016 (Schedule-1, Item 11.2) के तहत एसपीएल को अति-खतरनाक अपशिष्ट माना गया है। इसे वाणिज्यिक कोयले में मिलाना या बेचना कानूनन अपराध है। इसका निपटान केवल अधिकृत रीसाइक्लर्स या TSDF सुविधाओं के जरिए ही संभव है। सरकार ने जानकारी दी कि नियमों के उल्लंघन पर संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को कारखानों को तुरंत बंद करने, भारी पर्यावरणीय जुर्माना लगाने और आपराधिक मुकदमा चलाने के पूर्ण अधिकार दिए गए हैं। सरकार ने बताया कि 1 जुलाई 2025 को अधिसूचित नए संशोधनों के तहत 1 अप्रैल 2026 से एल्युमिनियम उत्पादकों पर 'विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व' की व्यवस्था लागू कर दी गई है।

विषैले स्पेंट पॉट लाइनिंग को कोयले में मिलाना गैर-कानूनी : सांसद

सांसद बृजमोहन अग्रवाल का कहना है कि छत्तीसगढ़ एक प्रमुख औद्योगिक राज्य है, जहां कई बड़े एल्युमिनियम स्मेल्टर और संयंत्र संचालित हो रहे हैं। विकास आवश्यक है, लेकिन हमारे नागरिकों के स्वास्थ्य और छत्तीसगढ़ की पावन धरा की पर्यावरण सुरक्षा की कीमत पर नहीं। विषैले स्पेंट पॉट लाइनिंग (एसपीएल) को कोयले में मिलाकर बेचना हमारे पानी, हवा और मिट्टी के साथ-साथ आम जनता की जिंदगी से खिलवाड़ है। संसद में सरकार के जवाब से यह साफ हो गया है कि इस प्रकार की मिलावट पूरी तरह गैर-कानूनी है।

लोगों को स्वच्छ हवा और पानी देना हमारी प्राथमिकता : बृजमोहन

सांसद अग्रवाल ने कहा कि मैं राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अपेक्षा करता हूं कि वे छत्तीसगढ़ के एल्युमिनियम संयंत्रों, तृतीय-पक्ष विक्रेताओं और सीमेंट भट्ठियों की सख्त निगरानी करें। यदि कोई भी इकाई नियमों का उल्लंघन करती पाई जाती है तो उस पर केवल कागजी कार्रवाई न हो, बल्कि संयंत्र को सील करने और आपराधिक मामला दर्ज करने जैसी ठोस कार्रवाई की जाए। छत्तीसगढ़ के नागरिकों को स्वच्छ हवा और पानी देना हमारी पहली प्राथमिकता है।

दुर्ग जिले को बड़ी सौगातें...मुख्यमंत्री साय ने की नीट-जी के छात्रों के लिए छात्रावास,ऑडिटोरियम,एथलेटिक्स ट्रैक और आधुनिक कंपोजिट भवन की घोषणा

दुर्ग,20 जुलाई 2026। शिक्षा का उद्देश्य केवल परीक्षा में अच्छे अंक लाना नहीं, बल्कि बच्चों में नैतिक मूल्यों, वैज्ञानिक सोच, सामाजिक संवेदनशीलता और राष्ट्रभावना का विकास करना है। शिक्षा संस्कारित समाज, सशक्त राष्ट्र और विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की सबसे मजबूत आधारशिला है। राज्य सरकार का संकल्प है कि प्रदेश का कोई भी बच्चा संसाधनों या अवसरों के अभाव में अपने सपनों से वंचित न रहे। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक अधोसंरचना,तकनीकी संसाधन और समान अवसर उपलब्ध कराकर प्रदेश की नई पीढ़ी को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार किया जा रहा है। ये बातें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज दुर्ग जिले के पाटन विकासखंड स्थित स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय,जामगांव (एम) में आयोजित राज्य स्तरीय शाला प्रवेशोत्सव 2026-27 को संबोधित करते हुए कही। सीएम साय ने शाला प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के प्रारंभ में विद्यालय में पहली बार प्रवेश लेने वाले नन्हे बच्चों का तिलक लगाकर एवं मुंह मीठा कराकर आत्मीय स्वागत किया। उन्होंने बच्चों को स्नेह पूर्वक आशीर्वाद देते हुए कहा कि वे मन लगाकर अध्ययन करें,बड़े सपने देखें और अपने ज्ञान,प्रतिभा एवं संस्कारों से परिवार,समाज,प्रदेश और देश का नाम रोशन करें। उन्होंने कहा कि बच्चों की मुस्कान और उनकी आंखों में बसे सपने ही विकसित छत्तीसगढ़ के उज्ज्वल भविष्य की नींव हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कक्षा पहली, छठवीं एवं नवमी के चयनित विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकें, गणवेश एवं स्कूल बैग वितरित किए।

साथ ही कक्षा नवमी की छात्राओं को साइकिल प्रदान कर उन्हें उच्च शिक्षा के लिए निरंतर आगे बढ़ने का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय साधन सह प्रवीण्य छात्रवृत्ति परीक्षा 2025-26 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित करते हुए कहा कि प्रतिभा किसी क्षेत्र या परिस्थिति की मोहताज नहीं होती।

प्रकाशक,मुद्रक,स्वामी अविनाश कुमार सिंह के द्वारा सांई ऑफ्सेट प्रिंटर्स,नमनाकला,संत हरकेवल विद्यापीठ के पास,अम्बिकापुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-अविनाश कुमार सिंह* (पी.आर.बी.कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिए जिम्मेदार)
RNI Reg.No.CHHHIN/2004/15050,डॉक रजिस्टर्ड क्र.:-13/सरगुजा/डीएन/2026-2028-मो. 94062-23001,98265-32611,Email:ghatatighatana11@ gmail.com,Website:www.ghatatighatana.com, (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र अम्बिकापुर न्यायालय मान्य होगा)